



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक संवत्) [संख्या 28

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	355—358	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	469—492	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	117—134	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1401—1455	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	687—688	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-2

प्रोन्नति

08 सितम्बर, 2025 ई0

सं0 I/1080948/2025-विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के वेतन बैंड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 (लेवल-11) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को चयन वेतनमान वेतन बैंड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 7,600- (लेवल-12) में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	बैच
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती-		
1.	विजय कुमार सिंह-II	अपर आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।	2011
2.	राम प्रकाश-II	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।	2012
3.	संजय कुमार	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) जालौन।	2012
4.	विवेक कुमार मिश्र	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गाजियाबाद।	2012
5.	ऋतु पुनिया	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) पीलीभीत।	2012
6.	श्रद्धा शाण्डिलयायन	सचिव, विकास प्राधिकरण, आगरा।	2012
7.	संजय कुमार पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी (नजूल) प्रयागराज।	2012
8.	शादाब असलम	प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल संघ/निगम (सेमी खेड़ा) बरेली।	2012
9.	जय प्रकाश	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) संतकबीर नगर।	2012
10.	सहदेव कुमार मिश्र	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गोरखपुर।	2012
11.	राकेश सिंह	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) सुल्तानपुर।	2012
12.	कमलेश चन्द्र	अपर आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।	2012
13.	लालता प्रसाद शाक्य	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) एटा।	2012
14.	नीता यादव	कमाण्डेन्ट, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।	2012
15.	विनीता सिंह	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) प्रयागराज।	2012
16.	अमरेन्द्र कुमार वर्मा	अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) श्रावस्ती।	2012
17.	जंग बहादुर यादव-II	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।	2012

1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
18.	आजाद भगत सिंह	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा।	2012
19.	अरुण कुमार यादव	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चित्रकूट।	2012
20.	कुँवर पंकज	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) महोबा।	2012
21.	श्यामलता आनन्द	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) मैनपुरी।	2012
22.	प्रशान्त कुमार भारती	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) महाराजगंज।	2012
23.	अरुण कुमार सिंह—III	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) फर्रुखाबाद।	2012
24.	सुशील कुमार गोंड	अपर जिलाधिकारी (वि०रा०) उन्नाव।	2012

आज्ञा से,
अन्नपूर्णा गर्ग,
विशेष सचिव।

अनुभाग-4

नियुक्ति

11 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 881/दो-4-2025-02-4004(004)/1/2025-मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-3887/2021 जान्हवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 11.08.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आलोक में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा, 2018 की अभ्यर्थी सुश्री जान्हवी को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा, 2018 बैच में उपलब्ध 01 रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रु० 77,840-1,36,520 (पुराना वेतनमान रु० 27,700-770-35,090-920-40,450-1080-44,770) के अन्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान पता
	सर्वश्री श्री/सुश्री—			
1.	033525	Sushri Janhvi सुश्री जान्हवी	श्री बसन्त लाल	ग्राम—कुरगांव, पोस्ट—करौंदी, सोरांव, प्रयागराज, उ०प्र०-212502

2—उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

3-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-70/1/ई-3/2018-19, दिनांक 11.08.2025 द्वारा अवगत करायी गयी स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अभ्यर्थी आयोग के पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2019 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति सूची में क्रम संख्या-582 अभ्यर्थी अंकिता बौद्ध (अनुक्रमांक-054249) के ठीक नीचे व क्रम संख्या-583 अभ्यर्थी सुभाष (अनुक्रमांक-042754) के ठीक ऊपर अवस्थित होंगी।

आज्ञा से,
अन्नपूर्णा गर्ग,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

स्थायीकरण

15 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 I/1174512/2025-लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-777/दो-3-2023, दिनांक 20.07.2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्त सुश्री मोहसिना बानो, उपजिलाधिकारी, सीतापुर का संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2024 में चयन होने एवं भारतीय राजस्व सेवा आवंटित होने के फलस्वरूप उक्त सेवा में कार्यभार ग्रहण करने/प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु सुश्री मोहसिना बानो द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.12.2025 एवं तदक्रम में जिलाधिकारी, सीतापुर के पत्र संख्या-2455/चौदह-सी0एफ0-10/सुश्री मोहसिना बानो-डि0कले0/2024/रा0स0, दिनांक 02.12.2025 द्वारा सुश्री बानो को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से धारणाधिकार सहित कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। सुश्री बानो को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/1159474/2025, दिनांक 01.12.2025 द्वारा उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में दिनांक 20.07.2025 से उपजिलाधिकारी के पद पर स्थायी किया गया है।

2-सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-12 से 14 के अधीन सुश्री मोहसिना बानो को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के डिप्टी कलेक्टर के पद से धारणाधिकार सहित कार्यमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 08, 2025

No. 806/Admin. (Services)/2025-Smt. Saumya Pandey, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 807/Admin. (Services)/2025-Sri Shakti Singh-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Behat (Saharanpur) *vice* Sri Narendra Kumar Yadav.

No. 808/Admin. (Services)/2025-Sri Narendra Kumar Yadav, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Behat (Saharanpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sant Kabir Nagar.

No. 809/Admin. (Services)/2025-Sushri Nidhi Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division),

Sant Kabir Nagar to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Abhinav Tripathi.

No. 810/Admin. (Services)/2025-Sri Abhinav Tripathi, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar in the court created under 14th Finance Commission.

No. 811/Admin. (Services)/2025-Sushri Nancy Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Agra for trying cases of crime against women *vice* Smt. Nazma Gomala.

No. 812/Admin. (Services)/2025-Smt. Nazma Gomala, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Agra to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Agra in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Harshita.

No. 813/Admin. (Services)/2025–Sushri Harshita, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Agra to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Etmadpur (Agra) *vice* Sri Satyendra Kumar Maurya.

No. 814/Admin. (Services)/2025–Sri Satyendra Kumar Maurya, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Etmadpur (Agra) to be Civil Judge (Junior Division) (West), Ballia *vice* Sushri Snigdha Pradhan.

No. 815/Admin. (Services)/2025–Sushri Snigdha Pradhan, Civil Judge (Junior Division) (West), Ballia to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ballia.

No. 816/Admin. (Services)/2025–Sri Vivasvan Prakash, Additional Civil Judge (Junior Division), Ballia to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ballia for trying cases of crime against women *vice* Sri Urfi Azmi.

No. 817/Admin. (Services)/2025–Sri Urfi Azmi, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ballia to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ballia in the court created under scheme of 14th Finance Commission.

No. 818/Admin. (Services)/2025–Sri Sagar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Hasanpur (Amroha) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mau.

No. 819/Admin. (Services)/2025–Sushri Priyanka Azad, Additional Civil Judge (Junior Division), Mau is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Mau *vice* Sri Arpit Goel.

No. 820/Admin. (Services)/2025–Sri Arpit Goel, Judicial Magistrate, First Class, Mau is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 821/Admin. (Services)/2025–Sushri Akshita Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Mau to

be Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad Gohna sitting at Mau *vice* Smt. Mahima Singh.

No. 822/Admin. (Services)/2025–Smt. Mahima Singh, Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad Gohna sitting at Mau to be Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh.

No. 823/Admin. (Services)/2025–Sushri Rupali Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Ayodhya to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ayodhya for trying cases of crime against women *vice* Sushri Swati Yadav.

No. 824/Admin. (Services)/2025–Sushri Swati Yadav, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ayodhya to be Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Ayodhya.

No. 825/Admin. (Services)/2025–Sri Himanshu Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Ayodhya to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Rudauli (Ayodhya) *vice* Smt. Bhawana Sharma.

No.826/Admin.(Services)/2025–Smt. Bhawana Sharma, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Rudauli (Ayodhya) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Pilibhit.

No. 827/Admin. (Services)/2025–Sri Praveen Kumar Priyadarshi, Additional Civil Judge (Junior Division), Baghpat to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Baghpat for trying cases of crime against women *vice* Sri Rajneesh Kumar-II.

No. 828/Admin. (Services)/2025–Sri Rajneesh Kumar-II, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Baghpat to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Baraut (Baghpat) *vice* Sri Vinayak Somvanshi.

No. 829/Admin. (Services)/2025—Sri Vinayak Somvanshi, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Baraut (Baghpat) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushi Nagar at Padrauna).

No. 830/Admin. (Services)/2025—Smt. Shashi Kiran, Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushi Nagar at Padrauna) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur.

No. 831/Admin. (Services)/2025—Sri Pushpendra Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Bahraich to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nanpara (Bahraich) *vice* Sri Anil Kumar Chaudhary.

No. 832/Admin. (Services)/2025—Sri Anil Kumar Chaudhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nanpara (Bahraich) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Auraiya.

No. 833/Admin. (Services)/2025—Sri Pawan Singh Tomar, Additional Civil Judge (Junior Division), Banda to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Banda for trying cases of crime against women *vice* Sri Muni Kumar Singh.

No. 834/Admin. (Services)/2025—Sri Muni Kumar Singh, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Banda to be Civil Judge (Junior Division), Atarra (Banda) *vice* Smt. Rakhi Singh.

No. 835/Admin. (Services)/2025—Smt. Rakhi Singh, Civil Judge (Junior Division), Atarra (Banda) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bareilly for trying cases of crime against women *vice* Sri Dilip Kumar Sahani.

No. 836/Admin. (Services)/2025—Sri Dilip Kumar Sahani, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bareilly to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 837/Admin. (Services)/2025—Sushri Rekha Rawat, Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya

Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Smt. Aroma Raman Picess.

No. 838/Admin. (Services)/2025—Smt. Aroma Raman Picess, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Additional Civil Judge (Junior Division), Shikohabad (Firozabad).

No. 839/Admin. (Services)/2025—Sri Amit Kumar Maurya, Additional Civil Judge (Junior Division), Shikohabad (Firozabad) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Maharajganj.

No. 840/Admin. (Services)/2025—Sri Shubhanshu Das, Additional Civil Judge (Junior Division), Banda to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Banda in the court created under scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Alok Kumar Verma.

No. 841/Admin. (Services)/2025—Sri Alok Kumar Verma, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Banda to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Naraini (Banda) *vice* Sri Abhay Kumar.

No. 842/Admin. (Services)/2025—Sri Abhay Kumar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Naraini (Banda) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 843/Admin. (Services)/2025—Sri Ramesh Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur).

No. 844/Admin. (Services)/2025—Sri Mohd. Juned, Additional Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur) to be Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur) *vice* Sri Ashutosh Verma.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bansgaon (Gorakhpur).

No. 845/Admin. (Services)/2025—Sri Ashutosh Verma, Civil Judge (Junior Division), Bansgaon (Gorakhpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh.

No. 846/Admin. (Services)/2025—Sri Sarfaraj Ahmad, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Rudhauri (Basti) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Kaushambi for trying cases of crime against women *vice* Smt. Farha Naaz Parveen.

No. 847/Admin. (Services)/2025—Smt. Farha Naaz Parveen, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Kaushambi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 848/Admin. (Services)/2025—Sri Prashant, Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly to be Civil Judge (Junior Division), Shikohabad (Firozabad) *vice* Smt. Neha Chaudhary-I.

No. 849/Admin. (Services)/2025—Smt. Neha Chaudhary-I, Civil Judge (Junior Division), Shikohabad (Firozabad) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Ramnagar (Barabanki) *vice* Sri Rohit Shahi.

No. 850/Admin. (Services)/2025—Sri Rohit Shahi, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Ramnagar (Barabanki) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 851/Admin. (Services)/2025—Smt. Vijay Lakshmi Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Bijnor to be Civil Judge (Junior Division), Bijnor *vice* Sri Prateek Tripathi.

No. 852/Admin. (Services)/2025—Sri Prateek Tripathi, Civil Judge (Junior Division), Bijnor to be Civil Judge (Junior Division), Nagina (Bijnor) *vice* Sri Vipul Kumar Yadav.

No. 853/Admin. (Services)/2025—Sri Vipul Kumar Yadav, Civil Judge (Junior Division), Nagina (Bijnor) to be Nyayadhikari, Gram

Nyayalaya, Nautanwa (Maharajganj) *vice* Sri Ashutosh Mani.

No. 854/Admin. (Services)/2025—Sri Ashutosh Mani, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Nautanwa (Maharajganj) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh.

No. 855/Admin. (Services)/2025—Sushri Annu, Additional Civil Judge (Junior Division), Nagina (Bijnor) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No.856/Admin.(Services)/2025—Smt. Hemlata, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj *vice* Sushri Akanchha Jaiswal.

No. 857/Admin. (Services)/2025—Sushri Akanchha Jaiswal, Judicial Magistrate, First Class, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No. 858/Admin. (Services)/2025—Sushri Neha Kumari Bind, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj to be Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Prayagraj.

No. 859/Admin. (Services)/2025—Sushri Shruti Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj to be Civil Judge, (Junior Division), (Fast Track Court) , Prayagraj for trying cases of crime against women *vice* Sri Ravi Kant Yadav-II.

No. 860/Admin. (Services)/2025—Sri Ravi Kant Yadav-II, Civil Judge (Junior Division), (Fast Track Court), Prayagraj to be Civil Judge, (Junior Division) (Fast Track Court), Prayagraj against the (Fast Track Court) created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Kamendra Nath Chaudhari.

No. 861/Admin. (Services)/2025–Sri Kamendra Nath Chaudhari, Civil Judge (Junior Division), (Fast Track Court), Prayagraj, to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Phoolpur (Prayagraj) *vice* Sri Rananjay Singh.

No. 862/Admin. (Services)/2025–Sri Rananjay Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Phoolpur (Prayagraj) to be Civil Judge, (Junior Division), (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Pragya Parashar.

No. 863/Admin. (Services)/2025–Smt. Pragya Parashar, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Rampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Rampur.

No. 864/Admin. (Services)/2025–Sri Yagyesh Kumar Sonkar, Additional Civil Judge (Junior Division), Khurja (Bulandshahar) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Chakia (Chandauli).

No. 865/Admin. (Services)/2025–Sri Rohit Puri, Additional Civil Judge (Junior Division), Chakia (Chandauli) to be Civil Judge (Junior Division), Mahmoodabad (Sitapur) *vice* Sri Ranjeet Kumar Jaiswal.

He is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mahmoodabad (Sitapur).

No. 866/Admin. (Services)/2025–Sri Ranjeet Kumar Jaiswal, Civil Judge (Junior Division), Mahmoodabad (Sitapur) to be Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur) *vice* Sri Harendra Singh.

He is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mohammadabad (Ghazipur).

No. 867/Admin. (Services)/2025–Sri Harendra Singh, Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur) to be Civil Judge (Junior Division), Sahaswan (Budaun) *vice* Sri Abhishek Kumar-III.

He is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sahaswan (Budaun).

No. 868/Admin. (Services)/2025–Sri Abhishek Kumar-III, Civil Judge (Junior Division), Sahaswan (Budaun) to be Additional Civil Judge (Junior Division) Sahaswan (Budaun).

No. 869/Admin. (Services)/2025–Sri Divya Pratap Singh Nimesh, Additional Civil Judge (Junior Division), Sahaswan (Budaun) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Khatauli (Muzaffar Nagar) *vice* Sri Kunwar Divyadarshi.

No. 870/Admin. (Services)/2025–Sri Kunwar Divyadarshi, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Khatauli (Muzaffar Nagar) to be Civil Judge (Junior Division), Biswan (Sitapur) *vice* Sri Subhash.

No. 871/Admin. (Services)/2025–Sri Subhash, Civil Judge (Junior Division), Biswan (Sitapur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 872/Admin. (Services)/2025–Sri Tanmay Jaiswal, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Sidhauri (Sitapur) *vice* Sushri Jayati Chandra.

No. 873/Admin. (Services)/2025–Sushri Jayati Chandra, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sidhauri (Sitapur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No. 874/Admin. (Services)/2025–Sushri Sadaf Imran, Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun to be Civil Judge, (Junior Division) (Fast Track Court), Budaun against the (Fast Track Court) created under the scheme of 14th Finance Commission.

No.875/Admin. (Services)/2025–Sushri Shalini Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Deoria is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Deoria *vice* Sushri Mrinalini Srivastava.

No. 876/Admin. (Services)/ 2025– Sushri Mrinalini Srivastava, Judicial Magistrate, Deoria to be Civil Judge (Junior Division), Deoria *vice* Smt. Samali Mittal.

No. 877/Admin. (Services)/2025–Smt. Samali Mittal, Civil Judge (Junior Division), Deoria to be Civil Judge (Junior Division) (City), Varanasi *vice* Smt. Shubhi Agrawal.

No. 878/Admin. (Services)/2025–Smt. Shubhi Agrawal, Civil Judge (Junior Division) (City), Varanasi to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Varanasi *vice* Sushri Meenakshi Bansal.

No.879/Admin.(Services)/2025–Sushri Meenakshi Bansal, Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Varanasi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Sushri Priyal Sharma.

No. 880/Admin. (Services)/2025–Sushri Priyal Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Sushri Jayati.

No. 881/Admin. (Services)/2025–Sushri Jayati, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No.882/Admin.(Services)/2025–Sushri Garima Arya, Additional Civil Judge (Junior Division), Etah to be Civil Judge, (Junior Division), (Fast Track Court) , Etah for trying cases of crime against women *vice* Sri Mohit Kumar.

No. 883/Admin. (Services)/2025–Sri Mohit Kumar, Civil Judge(Junior Division), (Fast Track

Court), Etah to be Civil Judge (Junior Division), Jalesar (Etah) *vice* Sri Ashutosh Kharwar.

No. 884/Admin. (Services)/2025–Sri Ashutosh Kharwar, Civil Judge (Junior Division), Jalesar (Etah) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Badlapur (Jaunpur) *vice* Sri Ashutosh Singh-I.

No. 885/Admin. (Services)/2025–Sri Ashutosh Singh-I, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Badlapur (Jaunpur) to be Civil Judge, (Junior Division) (Fast Track Court), Ayodhya against the (Fast Track Court) created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Ajay Kumar.

No. 886/Admin. (Services)/2025–Sri Ajay Kumar, Civil Judge(Junior Division), (Fast Track Court), Ayodhya to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Milkipur (Ayodhya) *vice* Sri Anuj Sinha.

No. 887/Admin. (Services)/2025–Sri Anuj Sinha, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Milkipur (Ayodhya) to be Civil Judge (Junior Division) (Hawali), Ayodhya *vice* Smt. Abhishikta Yadav.

No. 888/Admin. (Services)/2025–Smt. Abhishikta Yadav, Civil Judge (Junior Division), Ayodhya to be is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Ayodhya *vice* Sri Amit Kumar Yadav-III.

No. 889/Admin. (Services)/2025–Sri Amit Kumar Yadav-III, Judicial Magistrate, First Class, Ayodhya to be Civil Judge (Junior Division), Ayodhya *vice* Sri Dhruv Singh.

No. 890/Admin. (Services)/2025–Sri Dhruv Singh, Civil Judge (Junior Division), Ayodhya to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bikapur (Ayodhya) *vice* Smt. Ankita Singh-V.

No. 891/Admin. (Services)/2025–Smt. Ankita Singh-V, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bikapur (Ayodhya) to be Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) *vice* Sri Javed Khan.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jalaun (Jalaun at Orai) .

No. 892/Admin. (Services)/2025–Sri Javed Khan, Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) to be Additional Civil Judge (Junior Division) Jalaun (Jalaun at Orai).

No. 893/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Vandana Singh-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun (Jalaun at Orai) to be Additional Civil Judge (Junior Division) Sambhal (Sambhal at Chandausi) *vice* Sri Himanshu Verma-II.

No. 894/Admin. (Services)/2025–Sri Himanshu Verma-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 895/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Aanchal Malik, Additional Civil Judge (Junior Division), Etah to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etah in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Sachin Kumar.

No. 896/Admin. (Services)/2025–Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etah to be Nyayadhipari, Gram Nyayalaya, Aliganj (Etah) *vice* Sri Ashwani Kumar-II.

No. 897/Admin. (Services)/2025–Sri Ashwani Kumar-II, Nyayadhipari, Gram Nyayalaya, Aliganj (Etah) to be Civil Judge (Junior Division), Saidpur (Ghazipur) *vice* Smt. Shivani-II.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Saidpur (Ghazipur).

No. 898/Admin. (Services)/2025–Smt. Shivani-II, Civil Judge (Junior Division), Saidpur (Ghazipur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur.

No. 899/Admin. (Services)/2025–Sushri Sonali Priya Gaur, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ghazipur for trying cases of crime against women *vice* Sri Hazique Husain Ansari.

No. 900/Admin. (Services)/2025–Sri Hazique Husain Ansari, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur).

No. 901/Admin. (Services)/2025–Sri Abhishek Singh-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 902/Admin. (Services)/2025–Sushri Rewa, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 903/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Bhawna Sahu, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Fatehpur *vice* Smt. Nandini Upadhyay.

No. 904/Admin. (Services)/2025–Smt. Nandini Upadhyay, Judicial Magistrate, First Class, Fatehpur to be Civil Judge (Junior Division), Chhibramau (Kannauj) *vice* Sri Anup Kumar.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chhibramau (Kannauj).

No. 905/Admin. (Services)/2025–Sri Anup Kumar, Civil Judge (Junior Division), Chhibramau (Kannauj) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda.

No. 906/Admin. (Services)/2025–Smt. Bindu Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Civil Judge (Junior Division), Fatehpur *vice* Smt. Ankita Singh-III.

No. 907/Admin. (Services)/2025–Smt. Ankita Singh-III, Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No. 908/Admin. (Services)/2025–Sri Raj Vardhan Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bindki (Fatehpur) *vice* Sri Pratyush Gupta.

No. 909/Admin. (Services)/2025–Sri Pratyush Gupta, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Bindki (Fatehpur) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Moradabad *vice* Sushri Shweta Vishwakarma.

No. 910/Admin.(Services)/2025–Sushri Shweta Vishwakarma, Judicial Magistrate, First Class, Moradabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad.

No. 911/Admin. (Services)/2025–Sri Javed, Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Jasrana (Firozabad) *vice* Sri Shrirish Patel.

No. 912/Admin. (Services)/2025–Sri Shirish Patel, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Jasrana (Firozabad) to be Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushi Nagar at Padrauna) *vice* Sushri Nitika Mahajan.

No. 913/Admin. (Services)/2025–Sushri Nitika Mahajan, Civil Judge (Junior Division), Kasia

(Kushi Nagar at Padrauna) to be Civil Judge (Junior Division), Sitapur *vice* Sushri Shivangi Chaudhary.

No. 914/Admin. (Services)/ 2025–Sushri Shivangi Chaudhary, Civil Judge (Junior Division), Sitapur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Sitapur *vice* Sri Aditya Ranjan.

No. 915/Admin. (Services)/2025–Sri Aditya Ranjan, Judicial Magistrate, First Class, Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 916/Admin. (Services)/2025–Smt. Neha Rajan, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Sitapur *vice* Sushri Akshi Gill.

No. 917/ Admin. (Services)/ 2025–Sri Akshi Gill, Judicial Magistrate, First Class, Sitapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 918/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Pragati-III, Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women *vice* Sri Manuj Krishna Mishra.

No. 919/ Admin. (Services)/ 2025–Sri Manuj Krishna Mishra, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sitapur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Laharpur (Sitapur) *vice* Sri Kunal Kulbhaskar.

No. 920/Admin. (Services)/ 2025–Sri Kunal Kulbhaskar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Laharpur (Sitapur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Aonla (Bareilly).

No. 921/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Vidisha Bhushan, Additional Civil Judge (Junior Division), Aonla (Bareilly) is appointed U/s 9(2) of

the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot *vice* Sushri Anjalika Priyadarshini.

No. 922/Admin. (Services)/2025–Sushri Anjalika Priyadarshini, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be 2nd Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot.

No. 923/Admin. (Services)/2025–Sri Udyan Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Shikohabad (Firozabad) to be Civil Judge (Junior Division), Dumariaganj (Siddharth Nagar) *vice* Sri Umam Zahid.

No. 924/Admin. (Services)/2025–Sri Umam Zahid, Civil Judge (Junior Division), Dumariaganj (Siddharth Nagar) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Lucknow *vice* Sri Sumit Gupta-I.

No. 925/Admin. (Services)/2025–Sri Sumit Gupta-I, Judicial Magistrate, First Class, Lucknow to be Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur) *vice* Sri Manoj Kumar Yadav-II.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Tilhar (Shahjahanpur).

No. 926/Admin. (Services)/2025–Sri Manoj Kumar Yadav-II, Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur).

No. 927/Admin. (Services)/2025–Sri Mohd. Farhan, Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadabad (Ghazipur) to be Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) *vice* Sushri Umaima Shahnawaz.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of

2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Konch (Jalaun at Orai).

No. 928/Admin. (Services)/2025–Sushri Umaima Shahnawaz, Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur *vice* Sri Abhishek Kumar-I.

No. 929/Admin. (Services)/2025–Sri Abhishek Kumar-I, Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur.

No. 930/Admin. (Services)/2025–Sri Ambesh Kumar Pandey, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur *vice* Sushri Vartika Patel.

No.931/Admin.(Services)/2025–Sushri Vartika Patel, Judicial Magistrate, First Class, Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur.

No. 932/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Anuradha, Additional Civil Judge (Junior Division), Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lucknow.

No. 933/Admin. (Services)/2025–Sri Ranjana Devi, Additional Civil Judge (Junior Division), Ghazipur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ghazipur in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Ankit Baranwal.

No. 934/Admin. (Services)/2025–Sri Ankit Baranwal, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saidpur (Ghazipur).

No. 935/Admin. (Services)/2025–Sri Vivek Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division),

Saidpur (Ghazipur) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 936/Admin. (Services)/2025–Sri Avinash Maurya, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Chauri Chaura (Gorakhpur) *vice* Sri Mohd. Suhail.

No. 937/Admin. (Services)/2025–Sri Mohd. Suhail, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Chauri Chaura (Gorakhpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 938/Admin. (Services)/2025–Smt. Nandini Agnihotri, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur *vice* Sushri Ayushi Goswami.

No. 939/Admin.(Services)/2025–Sushri Ayushi Goswami, Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur.

No. 940/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Mohammad Adil Ansari, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Dharendra Kumar.

No. 941/ Admin. (Services)/ 2025–Sri Dharendra Kumar, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Gola (Gorakhpur) *vice* Sushri Satya Chaudhary.

No. 942/Admin. (Services)/2025–Sushri Satya Chaudhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Gola (Gorakhpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No. 943/ Admin. (Services)/ 2025–Sushri Saumya Arun, Additional Civil Judge (Junior

Division), Budaun is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Budaun *vice* Sushri Pinky Verma.

No. 944/Admin. (Services)/2025–Sushri Pinky Verma, Judicial Magistrate, First Class, Budaun to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No.945/Admin.(Services)/2025–Sushri Shaifali Chandravanshi, Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Budaun for trying cases of crime against women.

No. 946/Admin. (Services)/2025–Sri Deepak Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Hapur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Dhaulana (Hapur) *vice* Sri Dhamma Kumar Siddharth.

No. 947/Admin. (Services)/2025– Sri Dhamma Kumar Siddharth, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Dhaulana (Hapur) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar *vice* Sushri Swati Anand.

No. 948/Admin. (Services)/2025–Sushri Swati Anand, Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar.

No. 949/Admin. (Services)/2025–Smt. Anishka Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras to be Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar.

No.950/Admin.(Services)/2025–Sushri Sonakshi Singhal, Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Ankur Kumar.

No. 951/Admin. (Services)/2025—Sri Ankur Kumar, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar for trying cases of crime against women.

No. 952/Admin. (Services)/2025—Sri Tushar Jaiswal, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar.

No. 953/Admin. (Services)/2025—Sri Shiv Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Hathras to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hathras in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Shivji Yadav.

No. 954/Admin. (Services)/2025—Sri Shivji Yadav, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hathras to be Additional Civil Judge (Junior Division), Muzaffar Nagar.

No. 955/Admin. (Services)/2025—Sushri Mitali Sonkar, Additional Civil Judge (Junior Division), Sadabad (Hathras) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushi Nagar at Padrauna) *vice* Sri Sanjay Kumar-VIII.

No. 956/Admin. (Services)/2025—Sri Sanjay Kumar-VIII, Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushi Nagar at Padrauna) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Siyana (Bulandshahar) *vice* Sri Gyanendra Pratap Singh.

No.957/Admin.(Services)/2025—Sri Gyanendra Pratap Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Siyana (Bulandshahar) to be Civil Judge (Junior Division), Chunar (Mirzapur) *vice* Smt. Sanghmitra.

No. 958/Admin. (Services)/2025— Smt. Sanghmitra, Civil Judge (Junior Division), Chunar (Mirzapur) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur *vice* Smt. Jyoti Verma.

No. 959/Admin. (Services)/2025—Smt. Jyoti Verma, Judicial Magistrate, First Class, Gorakhpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Aligarh *vice* Sushri Yashaswi Singh.

No. 960/Admin. (Services)/ 2025— Sushri Yashaswi Singh, Judicial Magistrate, First Class, Aligarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh.

No. 961/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Shubhra Prakash, Additional Civil Judge (Junior Division), Aligarh to be Civil Judge (Junior Division), Khaga (Fatehpur) *vice* Sri Arun Kumar-V.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Khaga (Fatehpur).

No. 962/Admin. (Services)/2025—Sri Arun Kumar-V, Civil Judge (Junior Division), Khaga (Fatehpur) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Pooranpur (Pilibhit) *vice* Sri Aniruddh Singh.

No. 963/Admin. (Services)/2025—Sri Aniruddh Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Pooranpur (Pilibhit) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai *vice* Sushri Shailja.

No. 964/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Shailja, Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jalaun at Orai for trying cases of crime against women *vice* Sushri Nikita Singh-I.

No. 965/Admin. (Services)/2025–Sushri Nikita Singh-I, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jalaun at Orai to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jalaun at Orai in the court created under 14th Finance Commission.

No. 966/Admin. (Services)/2025–Sri Mohit Nirwal, Additional Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Gabhana (Aligarh) *vice* Sri Prashant Maurya.

No. 967/Admin. (Services)/2025–Sri Prashant Maurya, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Gabhana (Aligarh) to be Civil Judge (Junior Division), Mawana (Meerut) *vice* Sri Shivendra Sharma.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mawana (Meerut).

No. 968/Admin.(Services)/2025–Sri Shivendra Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Mawana (Meerut) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar.

No. 969/Admin. (Services)/ 2025– Sushri Ramsha Tanvir, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Rohit Patel.

No. 970/Admin. (Services)/2025–Sri Rohit Patel, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jaunpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jaunpur in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Shubham Malviya.

No. 971/Admin. (Services)/2025–Sri Shubham Malviya, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jaunpur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Macchlishahar (Jaunpur) *vice* Sri Lalit Kumar.

No. 972/ Admin. (Services)/ 2025–Sri Lalit Kumar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Macchlishahar (Jaunpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi).

No. 973/Admin.(Services)/2025–Sushri Vyoma Gaur, Additional Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 974/Admin.(Services)/2025–Sushri Sangya Yaduvanshi, Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut *vice* Sushri Kamakshi Sagar.

No. 975/Admin. (Services)/ 2025– Sushri Kamakshi Sagar, Judicial Magistrate, First Class, Meerut to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 976/Admin. (Services)/2025–Sri Amber Rana, Additional Civil Judge (Junior Division), Jhansi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Jhansi *vice* Smt. Harshita Singh-I.

No. 977/Admin. (Services)/ 2025– Smt. Harshita Singh-I, Judicial Magistrate, First Class, Jhansi to be Civil Judge (Junior Division), Jhansi *vice* Smt. Arunanjali Singh.

No. 978/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Arunanjali Singh, Civil Judge (Junior Division), Jhansi to be Civil Judge (Junior Division), East, Ballia *vice* Smt. Srishti Tripathi.

No. 979/Admin. (Services)/2025–Smt. Srishti Tripathi, Civil Judge (Junior Division), East, Ballia is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Ballia *vice* Sri Chandan Singh.

No. 980/Admin. (Services)/2025–Sri Chandan Singh, Judicial Magistrate, First Class, Ballia to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Menhdawal (Sant Kabir Nagar) *vice* Sri Prabhat Kumar Dubey.

No. 981/Admin. (Services)/2025–Sri Prabhat Kumar Dubey, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Menhdawal (Sant Kabir Nagar) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Balrampur *vice* Sushri Neeru Anand.

No. 982/Admin. (Services)/2025–Sushri Neeru Anand, Judicial Magistrate, First Class, Balrampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur.

No. 983/Admin. (Services)/2025–Sushri Renu Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Balrampur *vice* Sushri Meghali Singh.

No. 984/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Meghali Singh, Judicial Magistrate, First Class, Balrampur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Balrampur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Pragya Pandey.

No. 985/Admin.(Services)/2025–Sushri Pragya Pandey, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Balrampur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Balrampur in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Astha Singh.

No. 986/Admin. (Services)/2025–Sushri Astha Singh, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Balrampur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tulsipur (Balrampur) *vice* Sri Vinesh Kumar.

No. 987/Admin. (Services)/2025–Sri Vinesh Kumar, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tulsipur

(Balrampur) to be Civil Judge (Junior Division), Nawabganj (Bareilly) *vice* Sri Amarnath.

No.988/Admin.(Services)/2025–Sri Amarnath, Civil Judge (Junior Division), Nawabganj (Bareilly) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Madhuban (Mau) *vice* Sri Shubham Chaudhary.

No. 989/Admin. (Services)/2025–Sri Shubham Chaudhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Madhuban (Mau) to be Civil Judge (Junior Division), Moth (Jhansi) *vice* Sri Shubham.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Moth (Jhansi).

No. 990/Admin.(Services)/2025–Sri Shubham, Civil Judge (Junior Division), Moth-Jhansi to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bareilly in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Priyanka Anjor.

No. 991/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Priyanka Anjor, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bareilly to be Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah.

No. 992/Admin. (Services)/2025–Sri Abhay Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah to be Civil Judge (Junior Division), Jalalabad (Shahjahanpur) *vice* Smt. Anjita Singh Chauhan.

No. 993/Admin. (Services)/2025–Smt. Anjita Singh Chauhan, Civil Judge (Junior Division), Jalalabad (Shahjahanpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 994/Admin. (Services)/2025–Sri Aman Rai, Additional Civil Judge (Junior Division), Jhansi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Jhansi.

No. 995/Admin. (Services)/2025—Sri Ankit Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tirwa (Kannauj) *vice* Smt. Deepanshi Chowdhary.

No. 996/ Admin.(Services) /2025— Smt. Deepanshi Chowdhary, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya Tirwa (Kannauj) to be Civil Judge (Junior Division), Musafirkhana (Sultanpur) *vice* Sri Shivam Vashisth.

No. 997/Admin. (Services)/2025—Sri Shivam Vashisth, Civil Judge (Junior Division), Musafirkhana (Sultanpur) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Baah (Agra) *vice* Sri Saurabh Anand.

No. 998/Admin. (Services)/2025—Sri Saurabh Anand, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Baah (Agra) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No. 999/ Admin. (Services)/ 2025—Sushri Khushboo Dhankar, Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jhansi in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Ankita Boudha.

No. 1000/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Ankita Boudha, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jhansi to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jhansi for trying cases of crime against women *vice* Smt. Indu Verma.

No. 1001/Admin. (Services)/2025—Smt. Indu Verma, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Jhansi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra *vice* Sri Yadavendra Singh-II.

No. 1002/ Admin. (Services)/ 2025— Sri Yadavendra Singh-II, Judicial Magistrate, First

Class, Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra *vice* Sri Naved Akhtar.

No. 1003/Admin. (Services)/2025—Sri Naved Akhtar, Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi) *vice* Sri Krishan Mohan Pandey.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sambhal (Sambhal at Chandausi).

No. 1004/Admin. (Services)/2025—Sri Krishan Mohan Pandey, Civil Judge (Junior Division), Sambhal (Sambhal at Chandausi) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehabad (Agra).

No. 1005/Admin. (Services)/2025—Sri Vivek Prajapati, Additional Civil Judge (Junior Division), Fatehabad (Agra) to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tamkuhiraj (Kushi Nagar at Padrauna) *vice* Sri Anshuman.

No. 1006/ Admin. (Services)/ 2025— Sri Anshuman, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tamkuhiraj (Kushi Nagar at Padrauna) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Disha Omre.

No. 1007/Admin. (Services)/2025—Sushri Disha Omre, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Neelam Singh.

No. 1008/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Neelam Singh, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur.

No. 1009/Admin.(Services)/2025—Sri Abhishek Singh-I, Additional Civil Judge (Junior Division),

Kanpur Nagar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 1010/Admin.(Services)/2025–Sri Prashant Verma, Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1011/Admin. (Services)/2025–Sri Hemant Kumar, Additional Civil Judge (Junior Division), Kaushambi to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Kaushambi in the court created under 14th Finance Commission.

No. 1012/Admin. (Services)/2025–Sushri Pooja Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Lakhimpur Kheri *vice* Smt. Ankita Singh-IV.

No. 1013/Admin. (Services)/2025–Smt. Ankita Singh-IV, Judicial Magistrate, First Class, Lakhimpur Kheri is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Gautam Buddh Nagar *vice* Sushri Akriti.

No. 1014/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Akriti, Judicial Magistrate, First Class, Gautam Buddh Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gautam Buddh Nagar.

No. 1015/Admin. (Services)/2025–Sri Rajat Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri *vice* Sri Ravi Pandey.

No. 1016/Admin. (Services)/2025–Sri Ravi Pandey, Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge (Junior Division), Palia (Lakhimpur Kheri) in the newly created court

created vide G.O. No. /2024/829/VII-Nyay-2-2024-202(34)/76 T.C. dated 30.09.2024.

No. 1017/Admin. (Services)/2025–Sri Surya Chauhan, Additional Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Civil Judge (Junior Division), Jewar (Gautam Buddh Nagar) *vice* Sri Nazim Akbar.

No. 1018/Admin. (Services)/2025–Sri Nazim Akbar, Civil Judge (Junior Division), Jewar (Gautam Buddh Nagar) to be Civil Judge (Junior Division), Gunnaur (Sambhal at Chandausi) *vice* Sri Vijay Prakash.

No. 1019/Admin. (Services)/2025–Sri Vijay Prakash, Civil Judge (Junior Division), Gunnaur (Sambhal at Chandausi) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Auraiya in the court created under 14th Finance Commission.

No. 1020/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Praduman Singh, Special Judicial Magistrate (Air & Water Pollution), Lucknow to be Additional Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur).

No. 1021/Admin. (Services)/2025–Sri Pramod Kumar Pal, Additional Civil Judge (Junior Division), Tilhar (Shahjahanpur) to be Nyayadhipari, Gram Nyayalaya, Kerakat (Jaunpur) *vice* Sri Ashishanand.

No. 1022/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Ashishanand, Nyayadhipari, Gram Nyayalaya, Kerakat (Jaunpur) to be Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur) *vice* Sri Nitin Singh.

No. 1023/Admin. (Services)/2025–Sri Nitin Singh, Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 1024/Admin. (Services)/2025–Sri Ankit Kumar-II, Additional Civil Judge (Junior Division),

Pharenda (Maharajganj) to be Civil Judge (Junior Division), Pharenda (Maharajganj) *vice* Sri Akhil Kumar Nijhawan.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Pharenda (Maharajganj).

No. 1025/Admin. (Services)/2025–Sri Akhil Kumar Nijhawan, Civil Judge (Junior Division), Pharenda (Maharajganj) to be Civil Judge (Junior Division), Atrauli (Aligarh) *vice* Sri Kumar Ashish.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Atrauli (Aligarh).

No. 1026/Admin. (Services)/2025–Sri Kumar Ashish, Civil Judge (Junior Division), Atrauli (Aligarh) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Smt. Negi Chaudhary.

No. 1027/Admin. (Services)/2025–Smt. Negi Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Civil Judge (Junior Division), East, Hardoi *vice* Amratanshu Raj.

No.1028/Admin.(Services)/2025–Sri Amratanshu Raj, Civil Judge (Junior Division), East, Hardoi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi *vice* Sri Mohammad Younis.

No. 1029/Admin. (Services)/2025–Sri Mohammad Younis, Judicial Magistrate, First Class, Hardoi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hardoi.

No. 1030/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Shreyansh Srivastava, Additional Civil Judge (Junior Division), Hardoi to be Additional Civil Judge (Junior Division), Basti.

No. 1031/Admin. (Services)/2025–Sri Aviral Umrao, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura to be Civil Judge (Junior Division), Chhata (Mathura) *vice* Sri Vishal Sharma.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chhata (Mathura).

No. 1032/Admin. (Services)/2025–Sri Vishal Sharma, Civil Judge (Junior Division), Chhata (Mathura) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Ballia *vice* Sushri Priyanka Yadav.

No. 1033/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Priyanka Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Ballia to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ballia.

No. 1034/Admin. (Services)/2025–Sri Nishant, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar.

No. 1035/Admin. (Services)/2025–Smt. Ambuj Mishra, Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Gonda *vice* Smt. Aakanksha Singh.

No. 1036/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Aakanksha Singh, Judicial Magistrate, First Class, Gonda to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda.

No.1037/Admin.(Services)/2025–Sushri Tanya Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Raebareli to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Raebareli in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Srishti Singh.

No.1038/Admin.(Services)/2025–Sushri Srishti Singh, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Raebareli to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Raebareli for trying cases of crime against women *vice* Sri Paritosh Prakash.

No. 1039/Admin. (Services)/2025–Sri Paritosh Prakash, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Raebareli to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Unchahar (Raebareli) *vice* Sri Manu Gupta.

No. 1040/Admin. (Services)/2025–Sri Manu Gupta, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Unchahar (Raebareli) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Raebareli.

No. 1041/Admin. (Services)/2025–Sri Divya Chindaliya, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sambhal at Chandausi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Sambhal at Chandausi *vice* Smt. Divya Garg.

No. 1042/Admin. (Services)/2025–Smt. Divya Garg, Judicial Magistrate, First Class, Sambhal at Chandausi to be Civil Judge (Junior Division), Sambhal at Chandausi *vice* Smt. Akshita Mishra.

No. 1043/Admin.(Services)/2025–Smt. Akshita Mishra, Civil Judge (Junior Division), Sambhal at Chandausi to be Civil Judge (Junior Division), Agra *vice* Sri Saurabh Shukla.

No. 1044/Admin. (Services)/2025–Sri Saurabh Shukla, Civil Judge (Junior Division), Agra is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as

Judicial Magistrate, First Class, Varanasi *vice* Smt. Sunidhi Verma.

No. 1045/Admin. (Services)/2025–Smt. Sunidhi Verma, Judicial Magistrate, First Class, Varanasi is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Unnao *vice* Sushri Arti Maurya.

No. 1046/Admin. (Services)/2025–Sushri Arti Maurya, Judicial Magistrate, First Class, Unnao to be Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao.

No. 1047/Admin.(Services)/2025–Sri Siddhant Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly.

No. 1048/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Rachna Rawat, Additional Civil Judge (Junior Division), Bareilly is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Bareilly *vice* Sushri Manjula Mishra.

No. 1049/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Manjula Mishra, Judicial Magistrate, First Class, Bareilly to be Civil Judge (Junior Division), Hawali, Bareilly *vice* Sri Pratyush Prakash.

No. 1050/Admin.(Services)/2025–Sri Pratyush Prakash, Civil Judge (Junior Division), Hawali, Bareilly to be Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai *vice* Smt. Priyanka Saran.

No. 1051/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Priyanka Saran, Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Rampur in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sushri Shashiprabha Chaudhari.

No. 1052/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Shashiprabha Chaudhari, Civil Judge (Junior

Division) (Fast Track Court), Rampur to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sahabad (Rampur) *vice* Sri Arvind Kumar Madhesiya.

No. 1053/Admin. (Services)/2025–Sri Arvind Kumar Madhesiya, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Sahabad (Rampur) is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Shravasti at Bhinga.

No. 1054/Admin. (Services)/2025–Smt. Parul Kumari, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) *vice* Sushri Vertika Shailat.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Garhmukteshwar (Hapur).

No. 1055/ Admin. (Services)/ 2025– Sushri Vertika Shailat, Civil Judge (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj *vice* Sushri Aditi Garg.

No. 1056/Admin. (Services)/2025–Sushri Aditi Garg, 2nd Civil Judge (Junior Division), Kasganj to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasganj.

No. 1057/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Prashant Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Duddhi (Sonbhadra) to be Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) *vice* Siddharth Shekhar Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kunda (Pratapgarh).

No.1058/Admin.(Services)/2025–Sri Siddharth Shekhar Singh, Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1059/ Admin. (Services)/ 2025– Smt. Yugmita Pratap, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Kanpur Nagar.

No. 1060/Admin. (Services)/2025–Sri Abhinav Kumar Dubey, Additional Civil Judge (Junior Division), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra for trying cases of crime against women *vice* Sri Dharendra Kumar Sonkar.

No. 1061/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Dharendra Kumar Sonkar, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Nityanand Tyagi.

No. 1062/Admin. (Services)/2025–Sri Nityanand Tyagi, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Ghorawal (Sonbhadra) *vice* Sri Pankaj Kumar Kushawaha.

No. 1063/Admin. (Services)/2025–Sri Pankaj Kumar Kushawaha, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Ghorawal (Sonbhadra) to be Civil Judge (Junior Division), Rath (Hamirpur) *vice* Sri Tarun Kumar.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rath (Hamirpur).

No. 1064/Admin. (Services)/2025–Sri Tarun Kumar, Civil Judge (Junior Division), Rath

(Hamirpur) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Pilibhit in the court created under 14th Finance Commission.

No. 1065/Admin. (Services)/2025—Sushri Harshda Gangwar, Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Unnao for trying cases of crime against women *vice* Sushri Tanya Saxena.

No.1066/Admin.(Services)/2025—Sushri Tanya Saxena, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Unnao to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Unnao in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Himani Gautam.

No. 1067/Admin.(Services)/2025—Smt. Himani Gautam, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Unnao to be Civil Judge (Junior Division), Purva (Unnao) *vice* Sri Sachin Rathore.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Purva (Unnao).

No. 1068/Admin. (Services)/2025—Sri Sachin Rathore, Civil Judge (Junior Division), Purva (Unnao) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda.

No. 1069/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Vyadisha Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao to be Civil Judge (Junior Division), Safipur (Unnao) *vice* Sri Rajat Prakash Son.

No. 1070/Admin. (Services)/2025—Sri Rajat Prakash Son, Civil Judge (Junior Division), Safipur (Unnao) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri).

No. 1071/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Charu Nand, Additional Civil Judge (Junior

Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Prayagraj.

No. 1072/Admin. (Services)/2025—Sri Devpriy Saraswat, Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Ayodhya to be Civil Judge (Junior Division), Lalitpur *vice* Smt. Aditi Jain.

No. 1073/Admin. (Services)/2025—Smt. Aditi Jain, Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur.

No. 1074/ Admin. (Services)/ 2025— Sri Anshuman Vikram Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Azamgarh to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sitapur.

No. 1075/ Admin. (Services)/ 2025— Sri Siddharha Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Bulandshahar to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Dibai (Bulandshahar) *vice* Sri Kuldeep Singh Yadav.

No. 1076/Admin. (Services)/2025—Sri Kuldeep Singh Yadav, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Dibai (Bulandshahar) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Varanasi.

No. 1077/Admin. (Services)/2025—Sri Anshuman Yadav, Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Varanasi to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Manikpur (Chitrakoot) *vice* Sushri Khushboo Chandra.

No. 1078/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Khushboo Chandra, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Manikpur (Chitrakoot) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hathras for trying cases of crime against women *vice* Sushri Deepa Saini.

No. 1079/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Deepa Saini, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hathras to be Civil Judge (Junior

Division), Sikandra Rau (Hathras) *vice* Sri Abhishek Chowdhary.

No. 1080/Admin. (Services)/2025–Sri Abhishek Chowdhary, Civil Judge (Junior Division), Sikandra Rau (Hathras) to be Civil Judge (Junior Division), Kalpi (Jalaun at Orai) *vice* Sushri Ishita Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kalpi (Jalaun at Orai).

No. 1081/Admin. (Services)/2025–Sushri Ishita Singh, Civil Judge (Junior Division), Kalpi (Jalaun at Orai) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Pilibhit for trying cases of crime against women *vice* Sushri Priyanka Maurya.

No. 1082/ Admin. (Services)/ 2025–Sushri Priyanka Maurya, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Pilibhit to be Additional Civil Judge (Junior Division), Pilibhit.

No. 1083/Admin. (Services)/2025–Sri Kunvar Mallikarjun, Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Prayagraj to be Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate First Class, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) *vice* Sri Arvind Kumar Singh-III.

No. 1084/Admin. (Services)/2025–Sri Arvind Kumar Singh-III, Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate, First Class, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Firozabad in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Sagar Tayal.

No. 1085/Admin. (Services)/2025–Sri Sagar Tayal, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Firozabad to be Civil Judge (Junior Division)

(Fast Track Court), Firozabad for trying cases of crime against women *vice* Smt. Shweta Soni.

No. 1086/Admin. (Services)/2025–Smt. Shweta Soni, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Firozabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad.

No. 1087 /Admin. (Services)/ 2025–Sushri Nimisha Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Firozabad *vice* Sri Ajay Singh-II.

No. 1088/Admin. (Services)/2025–Sri Ajay Singh-II, Judicial Magistrate, First Class, Firozabad to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tundala (Firozabad) *vice* Sri Dharmender Singh Yadav.

No. 1089/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Dharmender Singh Yadav, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Tundala (Firozabad) to be Civil Judge (Junior Division), Ghatampur (Ramabai Nagar) *vice* Sushri Indira Danu.

No. 1090/Admin. (Services)/2025–Sushri Indira Danu, Civil Judge (Junior Division), Ghatampur (Ramabai Nagar) to be Civil Judge (Junior Division), Hawali, Saharanpur *vice* Sushri Shweta Yadav-II.

No. 1091/ Admin. (Services)/ 2025–Sushri Shweta Yadav-II, Civil Judge (Junior Division), Hawali, Saharanpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sri Amarendra Kumar Verma.

No. 1092/ Admin. (Services)/ 2025– Sri Amarendra Kumar Verma, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur.

No. 1093/Admin. (Services)/2025—Sri Viresh Kumar Sonker, Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur *vice* Sri Sumit Gupta-II.

No. 1094/Admin. (Services)/2025—Sri Sumit Gupta-II, Judicial Magistrate, First Class, Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur.

No. 1095/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Arushi Sharma, Additional Civil Judge (Junior Division), Etawah to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etawah for trying cases of crime against women *vice* Smt. Ruchi.

No. 1096/Admin. (Services)/2025—Smt. Ruchi, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etawah to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etawah in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Kapil Sharma.

No. 1097/Admin. (Services)/2025—Sri Kapil Sharma, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Etawah to be Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Saifai (Etawah) *vice* Sushri Sadhana Singh.

No. 1098/Admin. (Services)/2025—Sushri Sadhana Singh, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Saifai (Etawah) to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hapur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Neha Chaudhary-II.

No. 1099/Admin. (Services)/2025—Smt. Neha Chaudhary-II, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Hapur to be Registrar, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Varanasi.

No. 1100/Admin. (Services)/2025—Sushri Shalini Tyagi, Civil Judge (Junior Division), Auraiya is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Auraiya *vice* Smt. Nisha Ali.

No. 1101/Admin. (Services)/2025—Smt. Nisha Ali, Judicial Magistrate, First Class, Auraiya to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women *vice* Sushri Shivani Singh-II.

No. 1102/ Admin. (Services)/ 2025— Sushri Shivani Singh-II, Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Auraiya to be Civil Judge (Junior Division), Civil Judge (Junior Division), Duddhi (Sonbhadra) *vice* Sri Arun Singh.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Duddhi (Sonbhadra).

No. 1103/Admin. (Services)/2025—Sri Arun Singh, Civil Judge (Junior Division), Duddhi (Sonbhadra) to be Civil Judge (Junior Division), Auraiya *vice* Sushri Shalini Tyagi.

No. 1104/Admin. (Services)/2025—Sri Shishir Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Bhadohi at Gyanpur is appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class, Mahoba *vice* Sushri Nikita Singh-II.

No. 1105/Admin. (Services)/2025—Sushri Nikita Singh-II, Judicial Magistrate, First Class, Mahoba to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mahoba.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विज्ञप्ति

23 जनवरी, 2026 ई0

सं0 354/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज परगना-कन्ति जनपद-मीरजापुर के ग्राम भैसोड़ जेर पहाड़, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 355/जी0-365/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-चुनार परगना-अहरौरा जनपद-मीरजापुर के ग्राम जमालुद्दीनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 356/जी0-226/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-

बिधूना जनपद-औरैया के ग्राम-मुरचा मुसहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 357/जी0-226/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बिधूना जनपद-औरैया के ग्राम-रमपुरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 358/जी0-38/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-छिबरामऊ परगना-सौरिख जनपद-कन्नौज के ग्राम-कठिगरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 359/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लखीमपुर परगना-पैला जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम-ढखिया भोगचन्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 360/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा परगना-हवेली जनपद-महराजगंज के ग्राम गजपती, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 361/जी0-179/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-राबर्ट्सगंज परगना-बड़हर जनपद-सोनभद्र के ग्राम महोखर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 362/जी0-166/65(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लखीमपुर परगना-पैला जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम नेवादा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 363/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हरैया परगना-नगर पश्चिम जनपद-बस्ती के ग्राम पारा, तप्पा-ऊंजी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 364/जी0-179/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-राबर्ट्सगंज परगना-विजयगढ़ जनपद-सोनभद्र के ग्राम रघुनाथपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 365/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर परगना-मझवार जनपद-चन्दौली के ग्राम सोनवरसा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 366/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हरैया परगना-अमोढ़ा जनपद-बस्ती के ग्राम कलन्दरहा, तप्पा-बेलवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 367/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-सदर जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम ईश्वरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 368/जी0-163A/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश,

एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-हमीरपुर जनपद-हमीरपुर के ग्राम देवीगंज में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 369/जी0-226/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बिधूना जनपद-औरैया के ग्राम नगला पहाड़ी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

सं0 1419/जी0-167/2024-25 धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं अपर्णा यू0, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल जनपद कानपुर नगर के ग्राम रायपुर नर्वल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

अपर्णा यू0,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

कार्यालय, जिला पंचायत चित्रकूट

लाइसेंस उपविधि

02 अप्रैल, 2026

सं० 347 एल०बी०ए० / लाइसेंस-उपविधि-2026 / जि०पं०चि० / 2025-26-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत चित्रकूट (उ०प्र०) द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सड़क/किसी स्थान पर दुकानें/अन्य व्यवसाय करने सम्बन्धी कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में बनाई गयी उपविधि संख्या-07/एल०बी० ए०-उपविधि-जि०पं०चि०-2005-2006, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 जो आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा अनुमोदनोपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशन की तिथि 24 दिसम्बर, 2005 ई० (पौष 3, 1927 शक संवत्) से प्रभावी है। उक्त उपविधि के प्रस्तर-04 में विलम्ब शुल्क एवं प्रस्तर-13 में लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन के साथ नये व्यवसाय सम्मिलित करते हुए उपविधि में नियमानुसार आवश्यक संशोधन एवं नये व्यवसाय सम्मिलित करने का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड बैठक दिनांक 21-11-2025 के प्रस्ताव संख्या-05 द्वारा जनपद-चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत दुकानों/अन्य व्यवसाय करने सम्बन्धी जिला पंचायत, चित्रकूट में प्रचलित उपविधि संख्या-07 एल०बी०ए०-उपविधि-जि०पं०चि०-2005-2006 की लाइसेंस शुल्क की दरों एवं विलम्ब शुल्क में संशोधन एवं नये व्यवसाय एवं उनके सापेक्ष लाइसेंस शुल्क दरें सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन पर विचारार्थ सदन के समक्ष रखा गया था। सदन में विस्तृत चर्चा के उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम-1961 (यथासंशोधित) की धारा-242 (2) के

प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया गया है तथा प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। यह संशोधित उपविधि आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विलम्ब शुल्क सम्बन्धी वर्तमान प्रावधान	विलम्ब शुल्क सम्बन्धी संशोधित प्रावधान
प्रस्तर-04 प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू माह-अप्रैल तक करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क से मुक्त होगा। परन्तु निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में 100.00 रु0 तक निर्धारित शुल्क में 10.00 रु0 तथा 100.00 रु0 से 500.00 तक निर्धारित शुल्क में 25.00 रु0 तथा 500 रु0 से अधिक शुल्क पर 50.00 रु0 प्रति लाइसेंस शुल्क सहित जमा करना होगा।	प्रस्तर-04 प्रत्येक लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी, जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जायेगी। लाइसेंस का नवीनीकरण चालू वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि में करा लेने की दशा में विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में निर्धारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि का 10 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अनिवार्यतः देय होगा।
प्रस्तर-13 उपविधि में वर्णित दुकानों व अन्य व्यवसायों के लिये दुकान/व्यवसायवार लिखित विवरण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा दरें निम्नवत् हैं।	प्रस्तर-13 इस उपविधि के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से कालम-2 में उल्लिखित व्यवसायों/दुकानों की लाइसेंस शुल्क की वर्तमान दरों के स्थान पर संशोधित दरें एवं नये जुड़े व्यवसायों हेतु निर्धारित दरें निम्नवत् प्रभावी होंगी।

क्र0 सं0	व्यवसाय/सेवा का नाम	लाइसेंस शुल्क की वर्तमान दर	लाइसेंस शुल्क की संशोधित दर/नये जुड़े व्यवसायों/सेवा हेतु निर्धारित दर
1	2	3	4
			रु0
1	कपड़ा की फुटकर दुकान (वस्त्र भण्डार)	300	1,000
2	कपड़ा की दुकान थोक	500	1,500
3	रेडीमेड कपड़ा (होजरी) दुकान	200	1,000
4	किराना की दुकान-छोटी	200	1,000
5	किराना की दुकान-बड़ी	500	1,500
6	गल्ला खरीद बिक्री की बड़ी दुकान (गल्ला आढ़त) (10 कुन्तल से अधिक पर)	1000	2,200
7	गल्ला खरीद की फुटकर दुकान (छोटी) (10 कुन्तल तक)	500	1500
8	सोने चाँदी के आभूषण की बिक्री दुकान (सर्राफ)	1000	2,000
9	सोने चाँदी के आभूषण बनाने की दुकान (मरम्मत)	200	700
10	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवाएं होम्योपैथिक, आर्युवेदिक अन्य (छोटी)	500	1,200

1	2	3	4
			रु0
11	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवाएं, होम्योपैथिक, आर्युवेदिक अन्य (बड़ी)	—	1,800
12	मेडिकल स्टोर अंग्रेजी/देशी दवाएं, होम्योपैथिक, आर्युवेदिक अन्य (थोक एजेन्सी)	—	2,500
13	जनरल स्टोर/बिशात खाना (छोटी दुकान)	200	800
14	जनरल स्टोर/बिशात खाना (बड़ी दुकान)	—	1,500
15	सजावटी सामान विक्रय/डैकोरेटर शॉप	—	1,500
16	पुस्तक कापी (स्टेशनरी छोटी दुकान)	200	700
17	पुस्तक कापी स्टेशनरी (थोक)	300	1,500
18	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार) (छोटी)	150	700
19	मीठा दुकान (मिष्ठान भंडार) (बड़ी)	—	1,500
20	चाय की दुकान (टी स्टाल)	50	400
21	पान/पान मसाला, गुटखा इत्यादि की दुकान	50	400
22	चाय-पान की सम्मिलित दुकान	75	500
23	शर्वत, लस्सी, कोल्डड्रिंक, सोडावाटर आदि की दुकान	100	500
24	हार्डवेयर शॉप-बड़ी	—	1,500
25	हार्डवेयर शॉप-छोटी	—	700
26	साइकिल स्टोर (साइकिल एवं पुर्जों के बिक्रेता)	300	1,200
27	साइकिल स्टोर (साइकिल के पुर्जों बिक्रेता एवं मरम्मत कार्य)	100	400
28	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, ताँबा, सिल्वर अन्य धातु) बड़ी	300	1,000
29	बर्तन विक्रेता (बर्तन पीतल, स्टील, ताँबा, सिल्वर अन्य धातु) छोटी	200	800
30	कपड़ा सिलाई (टेलरिंग शॉप) जिसमें एक मशीन हो	50	500
31	कपड़ा सिलाई (टेलरिंग शॉप) जिसमें एक से अधिक मशीन हो	100	1,000
32	जलाऊ लकड़ी की दुकान (टाल)	200	700
33	इमारती लकड़ी की दुकान (जिसमें बांस बल्ली, लट्ठा आदि हो)	500	1,200
34	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाली सामान (फर्नीचर छोटी दुकान)	300	1,000

1	2	3	4
			रु०
35	इमारती लकड़ी से बनाये जाने वाली सामान (फर्नीचर बड़ी दुकान)	—	1,600
36	कोयला की दुकान (सभी प्रकार)	500	1,200
37	बिल्डिंग मैटेरियल/भवन निर्माण सामग्री विक्रय (छोटी)	—	1,200
38	बिल्डिंग मैटेरियल/भवन निर्माण सामग्री विक्रय (बड़ी)	—	2,000
39	बूट हाउस/जूता-चप्पल का शो-रूम	—	1,500
40	जूता-चप्पल की दुकान- छोटी	—	800
41	जूता के अलावा चमड़े के बने हुए अन्य सामान की दुकान/(लेदर स्टोर)	200	800
42	रंगीन तिरपाल आदि के बैग, अटैची तथा अन्य सामान की दुकान	200	700
43	स्पंज के गद्दे, तकिया, सोफा, प्लास्टिक फर्नीचर इत्यादि विक्रय	—	1,000
44	कृषि यंत्र (कृषि औजार) विक्रय- छोटी	—	1,000
45	कृषि यंत्र (कृषि औजार) विक्रय- बड़ी	—	2,500
46	बीज भंडार एवं समस्त प्रकार के कीटनाशक/ खरपतवार नाशक विक्रय-छोटी	—	700
47	बीज भण्डार एवं समस्त प्रकार के कीटनाशक/ खरपतवार नाशक विक्रय-बड़ी	—	1,500
48	रासायनिक खाद/जैविक खाद दुकान- छोटी	—	700
49	रासायनिक खाद/जैविक खाद दुकान- बड़ी	—	1,500
50	टीनशीट के बॉक्स, पलंग, कुर्सी, स्टील- फर्नीचर, अलमारी आदि विक्रय दुकान	200	1,500
51	फैब्रिकेशन वर्कशॉप (स्टील/लोहा/एल्युमिनियम गेट/बिन्डो/ग्रिल इत्यादि निर्माण कार्य)	—	1,200
52	फैब्रिकेशन वर्कशॉप (स्टील/लोहा/ एल्युमिनियम ट्रॉली/टैंकर/वाहन बॉडी मेकिंग इत्यादि निर्माण कार्य)	—	2,500
53	वॉच शॉप घड़ी विक्रेता (जेब हाथ घड़ी, अलार्म घड़ी)	300	500
54	वॉच रिपेयर दुकान (समस्त प्रकार की घड़ी के पुर्जे विक्रेता एवं मरम्मत)	100	400
55	बिजली के सामान की दुकान- छोटी (समस्त विद्युत उपकरण एवं मरम्मत)	—	700

1	2	3	4
			रु0
56	बिजली के सामान की दुकान— बड़ी (समस्त विद्युत उपकरण एवं मरम्मत)	—	1,500
57	रोड लाइट (बिजली सजावट)/साउण्ड सर्विस	300	800
58	डी0जे0 सर्विस/मोबाइल डी0जे0 सर्विस	—	1100
59	फल थोक विक्रेता	—	1,500
60	फल फुटकर विक्रेता	—	500
61	सब्जी थोक विक्रेता	—	1,500
62	सब्जी फुटकर विक्रेता	—	500
63	फल— सब्जी थोक विक्रेता	—	1,800
64	फल— सब्जी फुटकर विक्रेता	—	700
65	फ्रूट—जूस शॉप	—	700
66	सब्जी व फल मंडी/बाजार	—	2,000
67	मशरूम उत्पादन/बिक्री केन्द्र	—	1,000
68	पत्थर व पत्थर से बने उत्पाद की दुकान	200	700
69	कांच व चीनी पत्थर के उत्पाद (क्रॉकरी शॉप)	200	700
70	कांच/ग्लास स्टोर (शीशा कटिंग एवं विक्रय)	—	1,000
71	हेयर कटिंग सैलून— छोटा	—	500
72	हेयर कटिंग सैलून— बड़ा	—	1,000
73	हेयर कटिंग सैलून—ब्रान्डेड	—	2,000
74	ब्यूटी पार्लर सर्विस	—	1,000
75	ब्यूटी पार्लर—सैलून एण्ड स्पा सर्विस	—	2,000
76	बुटिक शॉप/स्टोर	—	1,000
77	डांस/म्यूजिक व्यावसायिक क्लासेस	—	1,000
78	आटो पार्ट्स दुकान (दो पहिया वाहन)	500	1,000
79	आटो पार्ट्स दुकान (चार पहिया एवं अन्य बड़े वाहन)	—	1,500
80	मोटर गैरेज (दो पहिया वाहन)	200	700
81	मोटर गैरेज (चार पहिया एवं अन्य बड़े वाहन)	200	1,000
82	टायर रिट्रेडिंग सर्विस	—	1,500
83	टायर—एजेन्सी	—	3,600
84	छोटे वाहन के टायर विक्रेता—टू एण्ड थ्री व्हीलर	—	1,000

1	2	3	4
			रु०
85	बड़े वाहन के टायर विक्रेता—फोर व्हीलर एवं अधिक	—	2,200
86	वाहन एलाइनमेंट सर्विस	—	1500
87	मोटर कार, जीप कार, मोटर साइकिल, स्कूटर पंचर हवा भरने की दुकान	100	300
88	डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प सेट/डीजल इंजन/जनरेटर एवं पार्ट्स विक्रय	—	1,200
89	डीजल/इलेक्ट्रिक पम्प सेट/डीजल इंजन/जनरेटर एजेन्सी	—	2,200
90	धर्म कांटा	500	1,200
91	धूपबत्ती/अगरबत्ती/रुई बत्ती इत्यादि निर्माण/विक्रय	—	1500
92	पशु आहार बिक्रय	—	700
93	पशु आहार एजेन्सी	—	2,000
94	दुग्ध/डेरी उत्पाद विक्रय कार्य	—	800
95	दुग्ध/डेरी फार्म	1,500	2,100
96	हथियार—आग्नेयास्त्र की दुकान	1,000	2,000
97	फोटो स्टूडियो/फोटो कापी शॉप	—	500
98	वीडियो सूटिंग एण्ड इवेंट फोटो ग्राफी सर्विस	—	1,800
99	साइबर कैफे/जन सेवा केन्द्र	—	800
100	कूरियर/पार्सल सर्विस	—	1,200
101	कम्प्यूटर/लैपटॉप इत्यादि सेल एण्ड सर्विस	—	1,500
102	सी०सी०टी० कैमरा विक्रय/इंस्टालेशन	—	800
103	सोलर पैनल विक्रय/इंस्टालेशन	—	1,200
104	इनवर्टर/बैट्री सेल एण्ड सर्विस	—	1,200
105	इनवर्टर/बैट्री—एजेन्सी	—	2,500
106	सिलाई मशीन एवं पार्ट्स विक्रेता	—	600
107	सिलाई मशीन मरम्मत कार्य	—	300
108	हाथ से जूता चप्पल निर्माण कर्ता	—	300
109	मशीन से जूता चप्पल निर्माण कर्ता	—	1,000
110	लाई, चना, मूंगफली विक्रेता (छोटी)	—	300
111	लाई, चना, मूंगफली विक्रेता (बड़ी)	—	600
112	गुड, शक्कर, खांड, आदि की दुकान	—	300

1	2	3	4
			रु0
113	बतासा, पेठा आदि बनाने/विक्रय की दुकान	—	1,000
114	लांड़ी (झायक्लीनर) शॉप— छोटी	100	600
115	लांड़ी (झायक्लीनर) स्टोर—बड़ी	—	1,500
116	रुई विक्रेता	500	600
117	स्पोर्ट्स शॉप— छोटी	—	700
118	स्पोर्ट्स शॉप— बड़ी	—	1,200
119	कबाड़ी की दुकान छोटी	—	500
120	कबाड़ी की दुकान बड़ी (स्क्रेप स्टोरेज)	—	2,500
121	रंग—रोगन (पेन्ट) की दुकान— छोटी	—	800
122	रंग—रोगन (पेन्ट) की दुकान— बड़ी	—	1,200
123	रंग—रोगन (पेन्ट) की एजेन्सी	—	2,100
124	टेन्ट हाउस— छोटा	—	1,200
125	टेन्ट हाउस— मध्यम	—	2,500
126	टेन्ट हाउस— बड़ा (टेन्ट हाउस कम्पनी)	—	7,500
127	अण्डा— विक्रय कार्य	—	300
128	अण्डा थोक एजेन्सी	—	1,500
129	चिकन/मटन—मीट शॉप	—	1,800
130	मछली विक्रय	—	1,200
131	हाथ—ढेला/रेहड़ी/फेरी कार्य	50	200
132	लकड़ी के खिलौने बनाने व बिक्री का कार्य	300	600
133	अ—दुग्ध फेरी विक्रेता 10 लीटर तक	100	500
	ब—दुग्ध फेरी विक्रेता 11 लीटर से 20 लीटर तक	200	700
134	स—दुग्ध फेरी विक्रेता 21 लीटर से अधिक पर	550	1,000
135	खोवा उत्पादक— फेरी द्वारा क्रय—विक्रय	200	700
136	कपड़ा की रंगाई (रंगरेज) दुकान	200	600
137	साइन बोर्ड दीवार पेंटिंग (पेन्टर) कार्य	200	600
138	कपड़ा/विसात खाना सम्बन्धी तथा अन्य घरेलू सामान विक्रय फेरी द्वारा	100	500
139	आतिशबाजी की दुकान	500	1,000
140	नौटंकी कम्पनी, खेल तमाशा व मनोरंजन शो आदि कार्य	100	500
141	बैण्ड—बाजा सर्विस	—	1000

1	2	3	4
			रु०
142	अन्य बाजा सर्विस (बीन, ढोल, पंजाबी भांगडा इत्यादि)	—	400
143	रेडियो/टी०बी०/इलेक्ट्रानिक उपकरण विक्रय	—	1,200
144	रेडियो/टी०बी०/इलेक्ट्रानिक पार्ट्स विक्रय व मरम्मत	—	600
145	मोबिल ऑयल/इंजन ऑयल विक्रय कार्य	—	1,000
146	मोबिल ऑयल/इंजन ऑयल एजेन्सी	—	2,200
147	डीजल, पेट्रोल, पैटी डीलर	—	1,500
148	डीजल वाहन यूरिया (डी०ई०एफ०) पम्प	—	1,000
149	प्रॉपर्टी डीलर/एजेन्ट/एसोसिएट सर्विस	—	3,500
	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी/ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय पर—		
	1—बिना वाहन के ट्रैवल्स/ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी पर	500	1,200
	2—वाहन सहित ट्रैवल्स/ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीज पर	1,000	2,000
	3—आटो रिक्शा (दो सीटर अथवा चार सीटर)	100	300
150	4—आटो रिक्शा (मेटाडोर) सात सीट तक	300	500
	5—मिनी बस	500	1,000
	6—बस	1,000	2,000
	7—अन्य चार पहियों के व्यावसायिक वाहन	500	1,200
151	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	5,000	6,000
152	स्कूटर/मोटर साइकिल एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	2,000	3,000
151	ई-स्कूटर/ई-बाइक/ई-रिक्शा एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	—	2,000
	हेल्थ सर्विस बिजनेस—		
	1—हॉस्पिटल/नर्सिंग होम— 20 बेड तक	1,000	1,500
	2—हॉस्पिटल/नर्सिंग होम— 20 से 50 बेड तक	2,000	3,000
	3—हॉस्पिटल/नर्सिंग होम— 50 बेड से अधिक	—	7,500
153	4—पैथोलॉजी/ब्लड टेस्ट सेन्टर		1,000
	5—अल्ट्रासाउण्ड/एम०आर०आई०/एक्सरे/ सी०टी० स्कैन/ई०सी०जी० इत्यादि जाँच केन्द्र	—	2,000
	6—फिजियोथैरेपी सेन्टर	—	1,000
	7—आयुष केन्द्र/वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र/ योग—ध्यान केन्द्र	—	1,200

1	2	3	4
			रु0
154	क्लीनिक	—	1,000
155	वेटनरी मेडीकल स्टोर	—	800
156	वेटनरी क्लीनिक	—	1,000
157	बालू स्टॉकिस्ट (डम्प) 2000 घन मीटर तक	1,000	2,000
158	बालू स्टॉकिस्ट (डम्प) 2001 घन मीटर से अधिक पर	2,000	3,000
159	सीमेन्ट आर्टिकल्स/सीमेन्ट निर्मित लघु- उत्पाद (जैसे-गमला इत्यादि) विक्रय कार्य	—	1,500
160	इण्टर लॉकिंग ब्रिक विक्रय दुकान	—	2,500
161	चूरा मशीन	—	500
162	मसाला/दाल पीसने की मशीन	—	500
163	गैस वेल्डिंग/इलेक्ट्रिक वेल्डिंग	—	500
164	सिनेमा घर स्थाई (मल्टीस्क्रीन)/मल्टीप्लेक्स	—	5,000
165	सिनेमा घर-अस्थायी	—	1,000
166	सीमेन्ट विक्रय की दुकान-छोटी	—	1,000
167	सीमेन्ट विक्रय की दुकान-बड़ी		2,000
168	सीमेन्ट-एजेन्सी	—	3,200
169	सरिया विक्रय की दुकान-छोटी	—	1,000
170	सरिया विक्रय की दुकान-बड़ी		2,000
171	सरिया-एजेन्सी	—	3,200
172	सेनेटरी फिटिंग सामान विक्रय-छोटी	—	1,000
173	सेनेटरी फिटिंग सामान विक्रय-बड़ी		1,800
174	बांस, बल्ली, पटरा आदि किराये पर देने का कार्य	—	800
175	सटरिंग रेंट सर्विस	—	2,000
176	बेकरी की दुकान (छोटी)	—	800
177	बेकरी की दुकान (बड़ी)	—	1,500
178	फास्ट फूड विक्रय	—	800
179	मोबाइल सर्विस कार्य	—	600
180	मोबाइल शॉप सेल एण्ड सर्विस (छोटी)	—	1,000
181	मोबाइल शॉप सेल एण्ड सर्विस (बड़ी)	—	2,500
182	भोजनालय (ढाबा)/रेस्टोरेन्ट (छोटा)	—	800

1	2	3	4
			रु०
183	भोजनालय (ढाबा)/रेस्टोरेन्ट (मध्यम)	—	1,500
184	भोजनालय (ढाबा)/रेस्टोरेन्ट (बड़ा)	—	3,000
185	विवाह घर, गेस्ट हाउस व अन्य स्थल—मांगलिक कार्य हेतु—छोटा	—	2,000
186	विवाह घर, गेस्ट हाउस व अन्य स्थल—मांगलिक कार्य हेतु—बड़ा	—	5,000
187	कैटरिंग सर्विस (भोजन पाक सेवा)	—	2,000
188	इवेंट मैनेजमेन्ट सर्विस/फर्म	—	3,000
189	होटल रुकने की व्यवस्था सहित (10 रुम तक)	—	2,000
190	होटल रुकने की व्यवस्था सहित (10 रुम से अधिक)	—	5,000
191	वाटर सप्लायर/पैकिंग वाटर पाउच निर्माण कार्य	—	2,000
192	शॉपिंग मॉल/मार्ट संचालक	—	8,000
193	डिजिटल लाइब्रेरी/लाइब्रेरी	—	1,500
194	कोचिंग सेन्टर—छोटा (20 छात्रों तक)	—	1,000
195	कोचिंग सेन्टर—बड़ा (20 छात्रों से अधिक)	—	3,000
196	जिम/फिटनेस सेन्टर—छोटा	—	1,000
197	जिम/फिटनेस सेन्टर—बड़ा	—	2,000
198	आइसक्रीम/आइसक्रीम मेकिंग एण्ड सेल	—	1,500
199	टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट पत्थर आदि विक्रय की दुकान—छोटी	—	1,000
200	टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट पत्थर आदि विक्रय की दुकान—बड़ी	—	2,500
201	चश्मा/ऑप्टिकल शॉप	—	1,000
202	चश्मा/ऑप्टिकल ब्रान्डेड स्टोर/बड़ी दुकान	—	2,500
203	कोल्ड्रिंक्स—एजेन्सी	—	3,500
204	रियल एस्टेट कम्पनी/प्रोजेक्ट डेवलेपर	—	8,000
205	टोल टैक्स (टोल टैक्स प्लाजा)	—	10,000
206	वाटर पार्क/रिसोर्ट/मनोरंजन/थीम पार्क	—	10,000
207	स्वीमिंग पूल—कामर्शियल	—	2,000
208	खोवा/मावा मंडी/बाजार	—	2,000
209	ईंट/ब्रिक मंडी/बाजार	—	5,000

1	2	3	4
			रु0
210	ई-कॉमर्स गोदाम/वेयर हाउस	—	8,000
211	मेडिकल कालेज (सरकारी छोड़कर)	—	10,000
212	नर्सिंग/पैरामेडिकल/फार्मसी आदि समकक्ष संस्थान (सरकारी छोड़कर)	—	5,000
213	इंजीनियरिंग कालेज व अन्य समकक्ष कालेज एवं संस्थान (सरकारी छोड़कर)	—	8,000
214	आई0टी0आई0/पॉलिटेक्निक एवं अन्य समकक्ष व्यावसायिक संस्थान (सरकारी छोड़कर)	—	5,000
215	स्कूल/शिक्षण संस्थान कक्षा-01 से 08 तक (250 छात्रों तक) (सरकारी छोड़कर)	—	2,000
216	स्कूल/शिक्षण संस्थान कक्षा-01 से 08 तक (250 अधिक छात्रों तक) (सरकारी छोड़कर)	—	3,000
217	स्कूल/शिक्षण संस्थान/कालेज कक्षा-01 से 12 तक (सरकारी छोड़कर)	—	4,000
218	स्कूल/शिक्षण संस्थान/कालेज कक्षा-06 से 12 तक (सरकारी छोड़कर)	—	4,000
219	महाविद्यालय (स्नातक/परास्नातक) (सरकारी छोड़कर)	—	5,000
220	इलेक्ट्रिक/डीजल झूला	—	5,000
221	मैनुअल झूला व अन्य झूला	—	1,000
222	भांग बिक्री की दुकान	—	2,000
223	शराब बिक्री की दुकान (देशी)	—	3,000
224	शराब बिक्री की दुकान (विदेशी शराब एवं बीयर)	—	5,000
225	शराब बिक्री की दुकान (विदेशी शराब)	—	3,000
226	शराब बिक्री की दुकान (बीयर)	—	3,000
227	वाईन एवं बीयर बार/पब/क्लब	—	7,500
228	दोना/पत्तल/गिलास इत्यादि बनाने का कार्य	—	2,000
229	दोना/पत्तल/गिलास इत्यादि विक्रय	—	800
230	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	—	2,000

1	2	3	4
			रु0
231	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प	2,000	5,000
232	गैस एजेन्सी/गैस गोदाम	—	5,000
233	सी0एन0जी पम्प	—	5,000
234	सम्मिलित डीजल, पेट्रोल, सी0एन0जी पम्प	—	8,000
235	सम्मिलित डीजल, पेट्रोल, सी0एन0जी पम्प एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	—	10,000
236	ब्राण्डेड ज्वैलरी शोरूम	—	10,000
237	नमकीन बनाने का कार्य/बिक्री	—	1,000
238	सभी प्रकार की गाड़ियों की धुलाई सेन्टर—मैनुअल	—	700
239	सभी प्रकार की गाड़ियों की धुलाई सेन्टर—हाइड्रोलिक		1,200
240	गैस चूल्हा/प्रेसर कुकर इत्यादि विक्रय	—	1,000
241	गैस चूल्हा/प्रेसर कुकर इत्यादि मरम्मत	—	500
242	अन्य छोटे व्यवसाय जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं है।	200	1,000
243	अन्य मध्यम श्रेणी व्यवसाय जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं है।	—	2,000
244	अन्य बड़े व्यवसाय जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित नहीं है।	—	5,000

नोट—उपविधि संख्या—07/एल0बी0ए0—उपविधि—जि0पं0चित्रकूट—2005—2006, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 के अन्य प्रावधान यथावत् बने रहेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र/जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चित्रकूट उत्तर प्रदेश यह निर्देश देती है कि जो भी व्यक्ति, संस्था उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो 1000 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है 50 (पचास रुपये) प्रतिदिन तक हो सकेगा अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 03 माह होगा।

आयुक्त
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

कार्यालय, जिला पंचायत, मीरजापुर
मानक खनिज परिवहन शुल्क उपविधि (2025)
 13 मई, 2026, ई0

1- यह उपविधि, जिला पंचायत, मीरजापुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी आदि को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा टैक्टर-ट्रॉली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका या यान्त्रिक नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2- परिभाषायें इन उपविधियों में—

- 2.1 अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
- 2.2 जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत, मीरजापुर से है।
- 2.3 ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित "ग्राम्य क्षेत्र" से है।
- 2.4 अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, मीरजापुर से है।
- 2.5 अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से है।
- 2.6 सार्वजनिक मार्ग का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जन-साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी है, में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो, से है।
- 2.7 नदी मार्ग का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है।
- 2.8 पशु गाड़ी का तात्पर्य बैल या भैसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है।
- 2.9 स्थान का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी खनिज उद्गम स्रोत, खदान (क्वेरीज), सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा नियत किया जाय।
- 2.10 शुल्क का तात्पर्य इस उपविधि के लिये निम्न प्रकार से है—
 - (i) यदि जिला पंचायत, मीरजापुर इन उपविधियों की उपविधि संख्या-5 के अनुसार दिये गये शुल्क वसूली के विकल्प में शुल्क वसूली विभागीय प्रकार यानि जिला पंचायत, मीरजापुर में नियुक्त कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा किये जाने का निर्णय लेती है तो शुल्क का तात्पर्य उपविधि संख्या-6 के खण्डों में समय-समय पर वर्णित एवं निर्धारित शुल्क से है।

2.11 खनिज उद्गम स्थल से तात्पर्य बालू, मौरंग, सिलिका सैण्ड, कोर्स सैण्ड समस्त खनिज पट्टे जनपद-मीरजापुर एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर, के अन्य उत्पाद), गिट्टी, भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है।

2.12 मण्डलायुक्त का तात्पर्य राजस्व संहिता के अध्याय-तीन (परिषद और राजस्व अधिकारी) की धारा-11 के अधीन उस मण्डल (डिवीजन) के लिये नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) से है जिसके भीतर जिला पंचायत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो

3— यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र के पर्वतीय स्थलों, खदानों तथा नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज (खदान) आदि से निकलने वाले खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4— कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद मीरजापुर के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा—पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्ससैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी इत्यादि को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन या टैक्टर—ट्रॉली, ट्रक, डम्पर, बैल गाड़ी, ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव या यन्त्र चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको यथा स्थिति उपविधि संख्या 2.10 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कार्मिक को अदा करना होगा।

5— जिला पंचायत, मीरजापुर शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदार द्वारा करा सकती है। शुल्क वसूली ठेका अनिवार्यतः 01 वर्षीय होगा। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6— जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा लिये जाने वाले खनिज परिवहन शुल्क की दरें निम्नवत् होगी—

1—पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी 30 रु० प्रति फेरी

2— मानव चालित नाव 40 रु० प्रति फेरी

3— मशीन/मोटर चालित नाव 70 रु० प्रति फेरी

4—टैक्टर ट्रॉली (2) चक्का ट्रॉली) 80 रु० प्रति फेरी

5— टैक्टर ट्रॉली (4 चक्का ट्रॉली या अधिक) 100 रु० प्रति फेरी

6— ट्रक— वाहन का प्रकार

(i) ट्रक (लाइट गुड्स व्हीकल्स 6 चक्का तक) 200 रु० प्रति फेरी

(ii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 10 चक्का) 300 रु० प्रति फेरी

(iii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 12 चक्का) 350 रु० प्रति फेरी

(iv) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 14 चक्का) 400 रु0 प्रति फेरी

(v) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 16 चक्का) 450 रु0 प्रति फेरी

(vi) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 18 चक्का) 500 रु0 प्रति फेरी

(vii) ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स 22 चक्का या अधिक) 500 रु0 प्रति फेरी

7— उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत की बढोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। बढोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा। यह बढी दरें अगले वित्तीय वर्ष/उस नीलामी अवधि हेतु उपयोग होगी, जिसके नीलामी में बढी दरों के आधार पर नीलामी के रिजर्व मूल्य में आवश्यक वित्तीय प्रभाव जोड़ा जायेगा। 03 वर्षों के कार्यकाल की गणना इन उपविधियों के गजट प्रकाशन की जगह उनके प्रभावी होने की तिथि के प्रारम्भ से 03 वर्ष तक की जायेगी।

8— (क) यदि खनिज परिवहन शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो ई-आक्शन पोर्टल के माध्यम से नीलामी पद्धति से दिया जायेगा, जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो प्रचलित हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों के प्रादेशिक संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत, मीरजापुर की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

(ख) जिला पंचायत द्वारा खनिज परिवहन की नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बकायेदारों की सूची जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही ई-आक्शन के नोटिस के साथ सम्बन्धित ई-आक्शन पोर्टल तथा जनपद के एनआईसी पोर्टल पर भी अनिवार्यतः अपलोड की जायेगी। बकायेदार को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी की तिथि के पूर्व तक पूर्ण धनराशि जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें। बकायेदारों की सूची जनपद के दो सर्वाधिक प्रचलन के अखबार में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।

9— ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले ई-नीलामीदाता (व्यक्ति/फर्म/जे०वी०) द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र (टी4) एवं निम्नानुसार रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य हैसियत से सम्बन्धित निम्नवत् अभिलेख दिया जा सकेगा (क) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिये रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र (टी5)

अथवा

(ख)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिये रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी जिला पंचायत, मीरजापुर के पक्ष में बैंक गारन्टी पत्र।

अथवा

(ग) नीलामी की पूर्ण अवधि के लिये रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य पोस्ट आफिस जारी एन०एस०सी० के०वी०पी० जो जिला पंचायत, मीरजापुर के पक्ष में बन्धक हो।

अथवा

(घ)— नीलामी की पूर्ण अवधि के लिये रिजर्व बोली धनराशि के एक चौथाई (25 प्रतिशत) के समतुल्य किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० जो जिला पंचायत, मीरजापुर के पक्ष में बन्धक हो।

10- सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा निम्नानुसार धनराशि अनुबन्ध करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में जमा की जानी है-

(क)- स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ तक होने पर अनुबन्ध हेतु बोली की सम्पूर्ण धनराशि ई०एम०डी० को समायोजित करते हुये।

(ख)- स्वीकृत बोली की धनराशि रु0 01 करोड़ से ऊपर होने पर अनुबन्ध हेतु 01 करोड़ 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि का 25 प्रतिशत।

(ग) - स्वीकृत बोली की धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि के रूप में जिला पंचायत, मीरजापुर में ठेकेदार को अनुबन्ध के समय जमा करना होगा, जो ठेकेदार द्वारा पूरे वर्ष संतोषजनक कार्य करने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। शेष बोली धनराशि दो बराबर किस्तों में प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। (ई०एम०डी० समायोजित करते हुये अन्तिम किस्त के रूप में) अन्तिम निर्धारित तिथियों तक किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त कर पूर्व में जमा धनराशियां जब्त हो जायेंगी एवं पुनः ठेका छोड़ने में यदि जिला पंचायत, मीरजापुर को कोई क्षति होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार (ठेका छोड़ने वाले व्यक्ति) से की जायेगी। यदि ठेकेदार द्वारा नियत समय प्रदान करने के उपरान्त बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो जिला पंचायत, मीरजापुर उस धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल कर सकती है।

11- ठेकेदार को ठेका स्वीकृत होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12- जिला पंचायत, मीरजापुर के अपर मुख्य अधिकारी, के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपण को जिला पंचायत, मीरजापुर में वापस करना अनिवार्य होगा।

13- ठेकेदार वसूली स्थल पर (सहज दृश्यस्थान पर) एक 8x4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14- इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

15- ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी, द्वारा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा, जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी, द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16- शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी, जिसको जिला पंचायत, मीरजापुर के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा।

17- ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18- ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, मीरजापुर को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत, मीरजापुर में मत-भिन्नता है या नीलाम समिति

की संस्तुति के प्राप्त होने के 1 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19— ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत, मीरजापुर के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत, मीरजापुर का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20— (क) गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत, को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी। (ख) जिला पंचायत, के किसी आदेश खनन/परिवहन उपविधि शासनादेशों/शर्तनाम नीलामी की धनराशि जमा करने में किसी धारा का उल्लंघन करने की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, घटना/समय की तिथि पर अविलम्ब लिखित नोटिस रजिस्टर्ड डाक ई-मेल फोन वाट्सअप के माध्यम से देगा, जिस पर ई-मेल जारी प्राप्त किये जाने से 07 दिवस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। जिस पर जिला पंचायत को 03 कार्य दिवसों में निर्णय लेना होगा। संतोषजनक उत्तर न होने पर लिखित आदेश द्वारा ठेका अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगी।

21— वसूलीकर्ता द्वारा उद्गम स्थलों से ही बिना वैरियर लगायें शुल्क की वसूली की जायेगी। वसूली स्थल उद्गम स्थल नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे, जहाँ पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू मौरंग सिलिका सैण्ड, कोर्स सैण्ड समस्त स्वीकृत खनिज पट्टे जनपद मीरजापुर. एवं पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी भस्सी एवं अन्य खनिज उत्खनन स्थल से है। इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग अथवा किसी भी प्रकार के मार्ग पर वैरियर, रस्सी लगाकर अथवा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर इन मार्गों पर वसूली नहीं की जायेगी।

22— वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23— इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों यथा पत्थर (मार्बल, ग्रेनाइट, सैण्डस्टोन तथा पत्थर के अन्य उत्पाद), गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, सिलिका सैण्ड, कोर्स सैण्ड, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन/परिवहन के समय वाहन मालिक/वाहन चालक पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत खनिज परिवहन शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति से वसूली हेतु नियत अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा कार्मिक ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही की जायेगी।

24— जिला पंचायत, मीरजापुर को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुयी आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। एतर्था सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य-योजना जिला पंचायत, मीरजापुर को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

दण्ड

जिला पंचायत, मीरजापुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म/जे०वी० या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा रू0 1,000/ (रूपये एक हजार) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रू0 50/— (रू0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो 03 मास तक का हो सकेगा।

निरसन

माडल उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेगी।

आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल,
मीरजापुर,



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

23 जून, 2026 ई०

सं० मा०शि०प०/परिषद्-9/437-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-1163/पन्द्रह-7-2026-1(29)/2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, दिनांक- 18 जून, 2026 द्वारा शासनादेश संख्या-1035/15-7-2025-1(29)/2019 दिनांक 09-09-2025 एवं शासनादेश संख्या-1254/15-7-2025-1(29)/2019 दिनांक 12-09-2025 में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अध्याय-दो के विनियम-1 के परिशिष्ट 'क' में स्थापित हाईस्कूल सहायक अध्यापक एवं इण्टरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता (क्रम-42) के पश्चात् पदोन्नति हेतु दिये गये नोट में निम्नवत् संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है :-

शासनादेश दिनांक 09.09.2025 एवं 12.09.2025
की वर्तमान व्यवस्था

संशोधित व्यवस्था

इण्टरमीडिएट रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से रसायन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) की उपाधि।

इण्टरमीडिएट रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है :-

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से रसायन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) की उपाधि।

शासनादेश दिनांक 09.09.2025 एवं 12.09.2025
की वर्तमान व्यवस्था

संशोधित व्यवस्था

नोट— इण्टरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु पदोन्नति (सहायक अध्यापक से प्रवक्ता) के प्रकरणों पर निर्धारित विषयवार शैक्षिक अर्हता में “एन०सी०टी०ई०” द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) अथवा एल०टी० प्रशिक्षण मान्य होगा।

नोट—1—इण्टरमीडिएट प्रवक्ता पद हेतु पदोन्नति (सहायक अध्यापक से प्रवक्ता) के प्रकरणों पर निर्धारित विषयवार शैक्षिक अर्हता में “एन०सी०टी०ई०” द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक (बी०एड०) अथवा एल०टी० प्रशिक्षण मान्य होगा।

2— शासनादेश दिनांक 09.09.2025 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापक, पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रवक्ता पद हेतु पदोन्नति के लिए अर्ह माने जायेंगे।

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 11 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 20, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम लखनऊ

(पशु कल्याण विभाग)

18 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 45/A.W./M.C./2026--उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-2, सन् 1959) की धारा-438, 451, 452, 541, 544 की उपधारा (451) तथा उपधारा (452) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में पाले जाने वाले पालतु पशुओं (श्वानों व बिल्लियों) हेतु लखनऊ नगर निगम (पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2025 तैयार कर उस पर आपत्ति व सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.12.2025 को अवधनामा (हिन्दी) तथा Lucknow News (अंग्रेजी) समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव न प्राप्त होने पर उपविधि मा० सदन की सामान्य बैठक दिनांक 27.01.2026 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी। मा० सदन द्वारा संकल्प सं०-219 में प्रस्तावित उपविधि को अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है-

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-2, सन् 1959) की धारा-438, 451, 452, 441, 544 की उपधारा (451) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में पाले जाने वाले पालतू पशुओं (श्वानों व बिल्लियों) हेतु नगर निगम लखनऊ (पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2025 मा० सदन की सामान्य बैठक दिनांक 27.01.2026 द्वारा संकल्प सं०-219 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके क्रम में नगर निगम लखनऊ उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है जो निम्नानुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-543 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लखनऊ नगर निगम (पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2025

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ (1) यह कि नगर निगम (पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2025 कही जायेगी।

2. यह लखनऊ नगर निगम की सीमा के अन्दर व्यक्ति द्वारा सुरक्षा व्यवस्था या शौक हेतु रखे गये पालतू पशु के स्वामी पर लागू होगी।

3. इस निमित्त बनाई गयी या जारी की गयी उपविधि या निर्देश जो इस उपविधि के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवर्तित रही हो निरस्त हो जायेगी।

1— परिभाषाएँ— अब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई धारा प्रतिकूल न हो इस उपविधि में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-3 सन् 1959) से है।

(ख) नगर निगम का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है।

(ग) पालतू पशु से तात्पर्य श्वान तथा बिल्ली से है जिसको लखनऊ नगर निगम सीमा में सुरक्षा व्यवस्था या शौक के उद्देश्य से पाला जाये।

(घ) निरीक्षण अधिकारों का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी/कर्मचारी से है।

(ङ) अनुज्ञापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी पालतू पशु का स्वामी हो और जिसने इस उपविधि के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम की सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये पालतू पशु को पालने हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(च) अनुज्ञा का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(छ) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

(3) **प्रतिषेध—** कोई भी व्यक्ति लखनऊ नगर निगम की सीमा में किसी भी भवन अथवा स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये किसी भी पालतू पशु को नहीं पालेगा या पालने देगा जब तक सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के लिये पाले गये पालतू पशु के स्वामी द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) **अनुज्ञा और उसकी अवधि—** प्रत्येक दृष्टि से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा इस उपविधि के अधीन आवेदक द्वारा नगर निगम की सीमा में सुरक्षा अथवा शौक के उद्देश्य से पालतू पशु को रखने/पालने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया जाये।

(5) अनुज्ञा की शर्तें—

(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो पालतू पशु का स्वामी हो जाये अपने स्वामी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपने पशु स्वामी होने के तथ्य को प्रपत्र-1 में नगर आयुक्त को सूचित करेगा।

(2) कोई भी पालतू पशु स्वामी अपने पालतू पशु को किसी सार्वजनिक स्थान यथा—गली, सड़क, पार्क या सड़क के आस-पास खुला नहीं छोड़ेगा।

(3) कोई भी पालतू पशु स्वामी अपने पशु को इस प्रकार से रखेगा या बाँधेगा कि उसके पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति को पालतू पशु से कोई आपत्ति न हो।

(4) पालतू पशु गृह स्वच्छ होना आवश्यक होगा कि पशु गृह को प्रतिदिन धुलाई एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना आवश्यक होगा।

(5) प्रत्येक पालतू पशु स्वामी अपने पशु के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा तथा एतद् पश्चात् यथा उपबन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त ठीक अनुज्ञप्ति-1 वर्ष के लिये अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक पालतू पशु स्वामी, लाइसेंस प्राधिकारी/नगर आयुक्त को अनुज्ञा स्वीकृति के लिये प्रपत्र-2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन-पत्र में पालतू पशु का लिंग, रंग, जाति तथा टीकाकरण/बन्ध्याकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना अंकित करेगा। पालतू पशु स्वामी, अन्य कोई सूचना जो व्यक्तिगत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

(7) जहाँ ऐसा कोई पालतू पशु जिसके सम्बन्ध में पशु स्वामी अनुज्ञा शुल्क के नगर निगम को भुगतान का दायित्व हो, मर जाये अथवा बेच दिया जाये या अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जाये तो पशु स्वामी लाइसेंस प्राधिकारी को तथ्य की सूचना घटना के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा।

6— निरीक्षण का अधिकार एवं लाइसेंस प्राधिकारी—

(1) नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी केनल/पशु गृह तथा पालतू पशु की उचित देखभाल आदि का निरीक्षण किसी भी दिवस और किसी भी समय कर सकता है। श्वान स्वामी को इस निमित्त नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी लाइसेंस प्राधिकारी होगा।

7— श्वान के रहने का स्थान—

(1) पालतू पशु स्वामी अपने पशु को स्वच्छ स्थान पर रखेगा और निम्नलिखित उपबन्धों का पालन करेगा।

(क) पालतू पशु के निवास हेतु (स्लीपिंग स्पेस) की निम्नवत व्यवस्था करना पशु स्वामी के लिये आवश्यक होगा।

छोटे पालतू पशुओं हेतु

न्यूनतम 10 वर्ग फीट क्षेत्र

बड़े पालतू पशुओं हेतु

न्यूनतम 22 वर्ग फीट क्षेत्र

200 वर्ग गज आवासीय क्षेत्र में 02 श्वान पशु प्रति परिवार तथा 300 वर्गगज आवासीय क्षेत्र में 04 श्वान पशु प्रति परिवार पाले जा सकेंगे। 05 या 05 से अधिक श्वान पशुओं हेतु श्वान पशु शेल्टर के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) पालतू पशु गृह को नित्य कीटनाशक से साफ किया जायेगा।

(ग) पालतू पशु स्वामी को नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।

8— अनुज्ञा शुल्क—

(1) श्वान स्वामी द्वारा श्वान के रखने हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क प्रतिवर्ष अप्रैल मास में अग्रिम रूप से देय होगी।

(क) भारतीय नस्ल के श्वान

200.00 रु प्रति श्वान

(ख) विदेशी नस्ल के श्वान

1000.00 रु प्रति श्वान

(ग) किसी भी नस्ल की बिल्ली

500.00 रु प्रति बिल्ली

(2) इस उपविधि के अधीन प्राप्त लाइसेंस 1 अप्रैल (अथवा किसी भी दिनांक) से 31 मार्च अर्थात् एक वर्ष के लिये प्रभावी होगा।

(9) अनुज्ञा का नवीनीकरण—

(1) अनुज्ञा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिये होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्राप्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(2) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त/लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(4) यदि ऐसा आवेदन-पत्र 2 मई के उपरान्त किन्तु 31 मई के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम, 1959 की अनुसूची में निर्धारित विलम्ब शुल्क रु० 500.00 जमा करना आवश्यक होगा।

(5) यदि 1 जून को अथवा उसके पश्चात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क के साथ अनुसूची में निर्धारित जुर्माना रु० 50.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

10— अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण—

यदि किसी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों अथवा लाइसेंस में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है/करता है जो कि सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञाधारक को बचाव का युक्ति-युक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

11— निषेध—

अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन उक्त अनुज्ञाधारक को नगर निगम सीमा में सुरक्षा व्यवस्था अथवा शौक के उद्देश्य से श्वान/बिल्ली नहीं रख सकेगा।

ऐसा पाये जाने की दशा में श्वान/बिल्ली को जब्त कर लिया जायेगा।

12— प्रशमन/अपील—

(1) लाइसेंस प्राधिकारी श्वान अथवा बिल्ली का प्रशमन निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूल/जमा करने के उपरान्त कर सकेगा।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध वाद उत्पन्न होने की दशा में नगर आयुक्त को आदेश के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा नगर आयुक्त के आदेशों के सम्बन्ध में महापौर के समक्ष अगले 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। महापौर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

13— शास्ति—

नगर निगम अधिनियम की धारा-550 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुये लखनऊ नगर निगम एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने की दशा में प्रति श्वान जुर्माना जो कि रु० 5000.00 तक तथा प्रति बिल्ली जुर्माना जो कि रु० 1000.00 हो सकता है और निरन्तर उल्लंघन की दशा में जुर्माना जो प्रथम दोष सिद्धि की तिथि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु० 50.00 प्रतिदिन दण्डनीय होगा।

गौरव कुमार,
नगर आयुक्त,
नगर निगम लखनऊ।

कार्यालय, नगर निगम, गोरखपुर

उपविधि

दिनांक 27 जून, 2026

सं0 178 (i)/न0आ0/न0नि0गो0/2026-27-कृपया प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग, अनुभाग-9, लखनऊ के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 925/नौ-9-2025-ई-1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अन्तर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिए प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने तथा सभी नगरीय निकायों में एक सुसंगत एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-213 और धारा-541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) मानक उपविधि, 2025" के प्रारूप संलग्न करते हुए निकाय के अनुमोदनोपरान्त लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 सदन की स्वीकृति पश्चात उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-543 के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" एवं "आज" में दिनांक 29.07.2025 को विज्ञापित प्रकाशन के माध्यम से 30 दिवस का समय प्रदान किया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तदुपरान्त मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.02.2026 में सर्वसम्मति से सरकारी गजट प्रकाशन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियमावली का प्रारूप निम्नानुसार है, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगी :-

गोरखपुर नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

- | | | |
|--|---|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1 | (1) यह उपविधि गोरखपुर नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम गोरखपुर में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषायें | 2 | (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—
(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।
(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो खतौनी में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।
(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।
(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा- 213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।
(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।
(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों। |

निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण

- 3 (1) अधिनियम, 1959 की धारा— 210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा— 213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।
- (2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।
- (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—
- (एक) पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा,
 - (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा,
 - (तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा,
 - (चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा,
 - (पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामों की आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति,

- (4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

- (5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

- 4 (1) (क) नियम-3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर हितबद्ध पक्ष निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसकी जांच कराकर सत्यापन पश्चात् निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्व कर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र—1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व/धारणाधिकार के वैध हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा—

क्र0 सं0	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के विक्रय पत्र, विभाजन आधार विलेख पर	पंजीकृत व दान-पत्र के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दानपत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् रू0—200.00 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप- 3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सम्पत्ति से स्वत्व रखने वाले सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी। नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य अनुरक्षित रखा जायेगा।

(ड) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी लागत पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ड) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जायेगा।

(3) इस उपविधि में समस्त प्राविधानों के होते हुए भी निस्तारण हेतु उत्तरदायी नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो हितबद्ध पक्ष से 4(2) में उल्लिखित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य/अभिलेख जो निस्तारण हेतु आवश्यक हो मांगा जा सकता है और हितबद्ध पक्ष द्वारा उक्त साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

हस्तान्तरण
की नोटिस
दिया जाना
हस्तान्तरण –
कर्ता और
हस्तान्तरिती
की बाध्यता

5

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) ज्यों ही नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आए, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना

6 (1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की अधिकतम दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार रु० 5000/— (रु० पाँच हजार मात्र) होगा।

(ख) नियम- 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
रु० 5 लाख तक	1000/—
रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2000/—
रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3000/—
रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5000/—
रु० 50 लाख से ऊपर	10000/—

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(3) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(4) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभागों के साथ किया जायेगा।

- आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण 7 जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुये संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।
- अपील 8 नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-472 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र-1

(नियम-4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना-प्रपत्र

1. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम —
2. भवन संख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति —
3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य —
4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं० —
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल —
6. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल —
7. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि —
8. अध्यासन की तिथि —
9. अन्य विवरण— यदि कोई हो।

स्थान—

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक—

पता—

मोबाइल नं०—

प्रपत्र- 2

(नियम- 4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता —
2. सम्पत्ति का विवरण —

- (1) विक्रय और दान आदि के मामलों में —
- (क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता
- (ङ) हस्तान्तरण के प्रकृति— बिक्री/दान
- (च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि
- (छ) कोई अन्य विवरण
- (2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में —
- (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।
- (ङ) आवेदक का मृतक से संबंध
- (च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश
- (छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)
- (ज) कोई अन्य विवरण
- (3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—
- (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण
- (ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य
- (च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी—उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

(1)

(2)

(3)

(4)

प्रपत्र— 3

(नियम— 4 (2घ) देखें)

नोटिस

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती निवासी
का नाम नगर निगम की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती निवासी द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती ...
..... की मृत्यु दिनांक को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर निगम के जोन संख्या के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा और कोई पश्चात वर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण—

सम्पत्ति आई0डी0

सम्पत्ति संख्या

अवस्थिति

जारी करने की तिथि

मुहर

हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकारी का नाम
पदनाम सहित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ—

1. समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
2. आवेदक का नाम

(ह0) अस्पष्ट,
अपर नगर आयुक्त (प्रथम),
नगर आयुक्त।

कार्यालय, नगर पंचायत निघासन, लखीमपुर-खीरी, खीरी

पत्रांक-154/न0प0खीरी/2025-26 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2. 1916) कि धारा 298 (2) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत निघासन द्वारा अपनी सीमा में "घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए उपतिथि नियमावली 2025" सम्बन्धी उपविधि बनायी है, जिसे नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 के प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा अनुमोदित किया गया अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 (1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक संख्या 848/न0प0नि0/बायलॉज/2025-26 दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 एवं 20 दिसम्बर, 2025 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र वॉयस ऑफ लखनऊ एवं हिन्दुस्तान के अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है वह व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत, निघासन को प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होने की दशा में कमेटी बोर्ड की बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2026 के प्रस्ताव संख्या:- 01 द्वारा बिना कोई संशोधन किये नियमावली का अनुमोदन सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु प्रदान किया गया।

तदोपरान्त तैयार अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के उपखण्ड-दो के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐंज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट - 2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग I और II, 1985 (1996 रीअफर्म) - सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पंचायत निघासन की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पंचायत खीरी भवनों पर लागू होगा।

1. संक्षेप- शीर्षक, विस्तार और आरंभ

- (i). इन उपविधियों को फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) उपविधि, 2025 कहा जा सकता है।

- (ii). ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पंचायत निघासन खीरी में क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2. परिभाषा

“एक्सेस कवर” का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट— उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का भी उपचार किया जाता है

“को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी”— का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

“विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली” का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

“नियुक्त अधिकारी”— निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशायी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

“डिस्लजिंग”— का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

“निस्तारण” का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

“एफ्लूयंट” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

“फीकल स्लज एवं सेप्टेज” का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

“फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

“ग्रे वाटर” का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

“होस्ट यूएलबी” का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय ‘होस्ट’ बना रहेगा;

“ईनसैनिटरी लेट्रिन्स” का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

“लाइसेंस” का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

“लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

“अधिसूचित स्थान” का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

“ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसओएसओ)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता ‘घरेलू शौचालय’ के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

“ऑपरेटर” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

“मालिक” का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

“व्यक्ति” का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कम्पनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

“सैनिटरी लेट्रिन्स” का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसओएसओ अथवा भूमिगत सीवररेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;

“सेप्टिक टैंक” भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आई.एस. कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

“शेड्यूल्ड डीस्लजिंग” का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीओएचआईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसओएसओ को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

“सेप्टेज” का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

“सीवेज” का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

“सीवर” वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

“सीवेज पम्पिंग स्टेशन” का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पम्प-हाउस का भण्डारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पम्प करके भेजा जाता है।

“सीवेज उपचार संयंत्र” का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

“निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी” का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

“परिवहन या ढुलाई” का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफ0एस0एस0) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

“उपचार” का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफ0एस0एस0/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

“उपचार सुविधा” का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

“यू0एल0बी0 क्लस्टर” का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफ.एस. के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एम0ओ0.यू0 की आवश्यकता होगी।

“निकाय पंजीकृत (वैक्यूम) टैंक” का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

“निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)” ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

“अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर” का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

“कमी” का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

- i. उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

5. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव

- i. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पंचायत खीरी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
- ii. ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओ0एस0एस0 से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।
- iii. परिसर का मालिक नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।
- iv. परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- v. परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत खीरी के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।
- vi. नियमों के पालन के लिए नगर पंचायत निघासन, खीरी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पंचायत निघासन खीरी समय-सीमा के भीतर अपने खर्च पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।
- vii. नगर पंचायत निघासन, खीरी अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- i. नगर पंचायत निघासन, खीरी वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकों को पंजीकृत करेगा।
- ii. नगर पंचायत निघासन, खीरी अपने कर्मियों सहित ओपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।
- iii. जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- iv. नगर पंचायत निघासन, खीरी ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

- v. इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

- i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।
- ii. आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।
- iii. नगर पंचायत निघासन खीरी में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।
- iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पंचायत निघासन, खीरी के साथ पंजीकृत करेगा।
- v. आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पंचायत खीरी या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
- vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपनविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफ0एस0एस0 का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पंचायत निघासन, खीरी द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण—

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पंचायत निघासन, खीरी द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क—

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10. 01 पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

- i. ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु. 2000.00

- ii. पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 05 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

- iii. लाइसेंस नवीनीकरण शुल्करु रु. 1,000.00

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन—

नगर पंचायत निघासन, खीरी द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसधारी ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान—

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पंचायत निघासन, खीरी द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

- i. भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पंचायत निघासन के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।
- ii. मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क—

- i. समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।
- ii. शहर में जब कभी नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- iii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।
- iv. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन—

- i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत निघासन खीरी के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

- ii. आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।
- iii. डी-स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।
- iv. ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पंचायत निघासन खीरी वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- v. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
- vi. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी—

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय—

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी—

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों / उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा—उपाय—

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

- i. लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पंचायत निघासन खीरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- ii. लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

- iii. होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

- निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।
- नगर पंचायत निधासन खीरी होस्ट यू0एल0बी0 से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- नगर पंचायत खीरी वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
- संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पंचायत निधासन खीरी द्वारा किया जाएगा।
- होस्ट यू0एल0बी0 अन्य क्लस्टर यू0एल0बी0 या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।
- एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

- निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस) नगर पंचायत निधासन खीरी निकाय का नाम, होस्ट यू0एल0बी0 के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यू0एल0बी0 के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यू0एल0बी0 का सदस्य बनेगा।
- निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।
- यदि निकाय होस्ट यू0एल0बी0 के क्लस्टर यू0एल0बी0 की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- नगर पंचायत निधासन खीरी विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- होस्ट यू0एल0बी0 संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।
- यदि "होस्ट यू0एल0बी0" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पंचायत निधासन को एक नए "होस्ट यू0एल0बी0" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा—

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना—

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण**27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान—**

- i. नगर पंचायत निघासन खीरी उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पंचायत निघासन के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।
- ii. उपचार सुविधा के अभाव में नगर पंचायत निघासन खीरी, आस पास के होस्ट यू0एल0बी0 जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)
- iii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पंचायत निघासन खीरी के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यू0एल0बी0" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण—

नगर पंचायत निघासन खीरी जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति—

- i. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पंचायत खीरी द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। ख्यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यू0एल0बी0,

- ii. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यू0एल0बी0" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। ख्यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यू0एल0बी0 का हिस्सा हैं,

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय—

(निकाय या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यू0एल0बी0) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय (या होस्ट यू0एल0बी0 लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है—

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण—

नगर पंचायत निधासन, खीरी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल—

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

प्रशासन और प्रवर्तन

34. प्रशासन और प्रवर्तन—

- इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेगी।
- नगर पंचायत निधासन खीरी फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- नगर पंचायत निधासन खीरी शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- नगर पंचायत खीरी फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0) नियुक्त करेगा।

35. जांच के लिए विशेष शक्ति—

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पंचायत निधासन खीरी के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना—

- इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

- ii. किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति— (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- iii. इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।
- iv. जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पंचायत खीरी द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
- v. संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37. अपील—

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38. विवाद समाधान उपविधि—

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल नगर पंचायत खीरी के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन—

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40. संदर्भ प्रलेख—

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41. डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार—

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डी-स्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश—

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1**सेप्टिक टैंक का डिजाइन—**

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी०आई०एस० कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 भाग 1, 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इन्स्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम०ओ०एच०यू०ए० के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओ०एस०एस० पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकार: लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैन-होल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी०)
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी०आई०एस०-2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

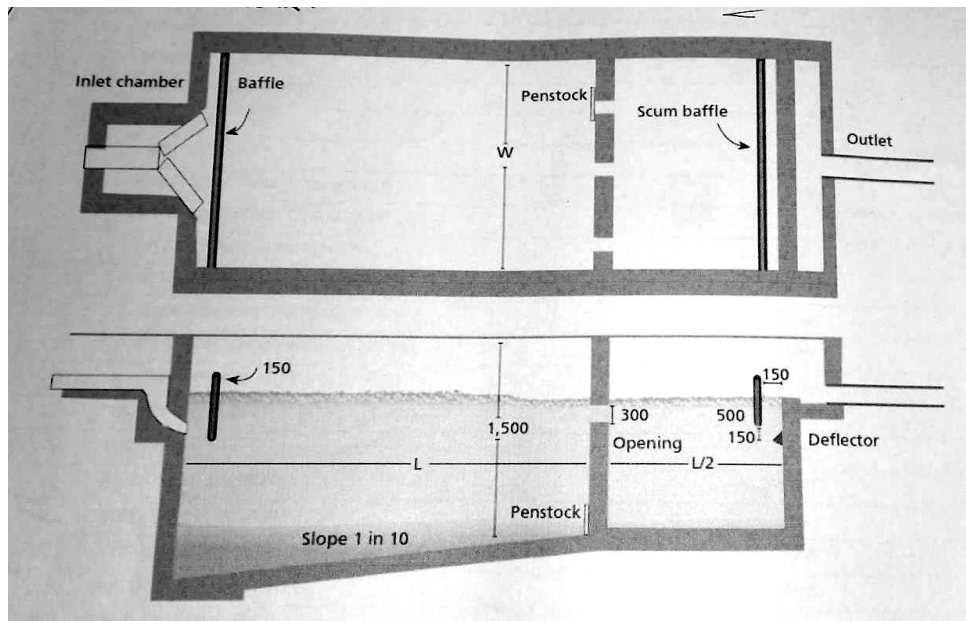
स्रोत: सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल — भाग ए: इंजीनियरिंग। सी०पी०एच०ई०ई०ओ०, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुएं हैं:

- अवसादन (सेडीमेंटेशन): निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन: डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भण्डारण: फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्ड: कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन



परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पंचायत निधासन खीरी में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोग कर्ता शुल्क (यूज़र फीस) की अनुमानित सूची—

क्र० सं० श्रेणी		शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये
1.	कच्चाधर/झोंपड़ी	350
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,000
4.	दुकान	1,500
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1,800
6.	बैंक	2,000

1	2	3
		रुपये
7.	समुदायिक शौचायल/सार्वजनिक शौचालय	800
8.	रेस्टोरेंट	2,000
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000
12.	धर्मशाला (01 से 25 कमरे)	1,200
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800
14.	3-स्टार होटल	2,800
15.	5-स्टार होटल	3,500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	1,200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,800
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	2,500
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,000
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,500
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500
23.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500
24.	मल्टीप्लेक्स	3,500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,500
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,000
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000
29.	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	2,500
30.	बार	2,500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,500
32.	सरकारी अस्पताल (20 बेड से अधिक)	2,500
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2,000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड से अधिक)	2,500
35.	पैथालॉजिकल लैब	1,500

1	2	3
		रुपये
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500
37.	निजी अस्पताल (21—50 बिस्तर तक)	2,500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	5,000

स्रोत: सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट:- 01 उपयोगकर्ता शुल्क(यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है

02 उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 4,000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित है। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कन्डोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण—

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:

- शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिपलेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
- शरीर की रक्षा सज्जा / सुरक्षा बेल्ट
- सर्जिकल फेस मास्क / रेस्परेटर जो धूल, धुएं, धुन्ध और जीवाणुओं आदि से बचाता है
- सेप्टी टॉर्च
- भारी रासायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
- संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेप्टी गॉगल्स
- टॉर्च के साथ लगे सेप्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है
- दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।
- आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट
- गैस मॉनीटर

- xi. हेड लैंप
- xii. गाइड पाइप सेट
- xiii. सेप्टी ट्राइपॉड सेट
- xiv. वेडर बूट
- xv. एयर कम्प्रेसर और ब्लोअर
- xvi. मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम
- xvii. रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

कार्यालय, नगर पंचायत निघासन, जनपद-खीरी

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1: नगर पंचायत निघासन, जनपद-खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): _____
2. पता: _____
3. पंजीकृत कार्यालय का पता: _____
4. टेलीफोन नम्बर: (कार्यालय)----- (मो.):-----
ईमेल आईडी:-----

12						
स0न0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
i						
ii						
iii						
iv						

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद----- (रसीद संख्या)

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व:प्रमाणित प्रति) (हां / नहीं):

दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां / नहीं
पहचान-प्रमाण		पता-प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या:

मैं/हम, प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं, यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं, सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू.एल.बी. द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू.एल.बी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू.एल.बी. द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ septic tank waste (अंग्रेजी में) और "मलकुण्ड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 6 दिनों पर 10:am से 5:pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खण्ड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेन्स प्रारूप

नगर पंचायत निघासन जनपद-खीरी

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

नगर पंचायत निघासन, जनपद-खीरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस।

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

1. आवेदक का नाम: (श्री/सुश्री): _____
2. पत्राचार का पता: _____
3. नगर पंचायत निघासन, जनपद लखीमपुर-खीरी में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस
संख्या:_____
4. मान्यता _____ से _____ तक
5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर: (i) _____ (ii) _____
(iii) _____ (iv) _____

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

लाइसेन्स, लाइसेन्स धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू.एल.बी. द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू.एल.बी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू.एल.बी. द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ **septic tank waste** (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09:00 am से 6:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डी-स्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पंचायत निधासन, जनपद-खीरी में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक: समय:

I- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम:

2. पता:

(क) वार्ड संख्या:(क) टेलीफोन नं.....

II- रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष

2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY):.....

3. आउट-लेट मौजूद (हां/ नहीं):

4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है:

5. रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्वीन पिट (पंक्तिबंध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार: नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)

2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय :

3. ट्रिप की लम्बाई (किमी) :

4. आने-जाने में समय :

IV- कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम :

ज्यूटी पर खाली स्टाफ F.S.S.T.P. ऑपरेटर :

ज्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यू.एल.बी. तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप**फॉर्म 4:** "होस्ट यू.एल.बी." पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकायका नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाइजेड निकाय (संपर्क करने वाले नगर पंचायत निघासन-खीरी) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यू.एल.बी." (होस्ट निकायका नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यू.एल.बी." (होस्ट नगर पंचायत निघासन-खीरी)

द्वितीय पक्ष "एक्सवाइजेड यू.एल.बी." (संपर्क करने वाले निघासन-खीरी)

उपबन्ध:

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। /वर्ष (अंतिम तिथि)
2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. देने के लिए सहमत है।
4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।
6. कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम
अधिशायी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष
अधिशायी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8
जुर्माना और फाइन

क्र० सं०	विवरण	खण्ड संख्या	संकेतिक फाइन सीमा रु में	जुर्माना या किसी अन्य पीनल एक्शन में
1	2	3	4	5
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50—100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50—100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10—15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओ0एस0एस0 का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100—150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100—150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10—15 प्रति दिन	“
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50—100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50—100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150—200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1,000—1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000—1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000—10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000—10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000—1,500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज ,वं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000—10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000—10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500—2,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोट: जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यू.एल.बी. जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास ----- (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. आवेदक का पता :
3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई
नाम : पद :
4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई:
.....
5. अपील दायर करने की तारीख :
6. सूचना विवरण
क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)
.....
.....
ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)
.....
.....

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी :
..... एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान : तिथि :

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख:

1. :
2. :
- यहाँ फाड़ें.....

पावती

संख्या..... तिथि :

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन :

स्थान:..... तिथि :

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर,
आदेश से (नगर पंचायत, निघासन-खीरी)

(अधिशाली अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
(नगर पंचायत निघासन-खीरी)

परिशिष्ट—10

(खण्ड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
2. उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. बिजनौर फीकल स्तज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. उत्तर प्रदेश में फीकल स्तज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. एकीकृत फीकल स्तज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. आईएस: 2470—1985, सेट्रिक टैंक की स्थापना और सेट्रिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
(क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण
(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
10. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
12. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
13. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
14. तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।
15. सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
16. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
17. फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली
18. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

ह0 (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, निधासन,

जनपद—खीरी।

कार्यालय, नगर पंचायत कंचौसी, कानपुर देहात

15 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 573/एन0पीकचौ0/2024-25—नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0एक्ट सं0 2, 1916) की धारा-128(1) के उपखण्ड (13-ख) तथा धारा-298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कंचौसी जनपद-कानपुर देहात ने अपनी सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के अन्य प्रस्ताव सं0-4 द्वारा नियमावली बनायी गयी है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा-131(3) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु कार्यालय नगर पंचायत कंचौसी के पत्र सं0-372/नं0पं0कंचौ0/2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 द्वारा उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 14 मई, 2025 को दैनिक समाचार-पत्र आज, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में कराया गया है जिसमें आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की अवधि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस थी, किन्तु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई दावा/आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत कंचौसी को प्राप्त नहीं हुयी है सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु उक्त सार्वजनिक सूचना का अन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी—

यूजर चार्ज की दरें

श्रेणी	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
रुपये—		
आवासीय आवासीय भवन यथास्थिती प्रति एकत परिवार/प्लैट/किरायेदार, हेतु बहुमंजिले भवनों का निर्मित क्षेत्रफल और एकल मंजिला का भू-क्षेत्रफल हेतु लागू		
श्रेणी 1 (i)	500 वर्ग फीट से कम	30/- प्रतिमाह
श्रेणी 1 (ii)	500 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक	50/- प्रतिमाह
श्रेणी 1 (iii)	2000 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	80/- प्रतिमाह
दुकानें (गैर वातानुकूलित दुकानों हेतु दुकान के आकार पर आधारित प्रयोक्ता शुल्क)		
श्रेणी 2 क (i)	100 वर्ग फीट तक	40/- प्रतिमाह
श्रेणी 2 क (ii)	100 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	50/- प्रतिमाह
सड़क के किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/आदि (जिन्हें स्थायी रूप से निर्मित संरचना पर चलाया/संचालित न किया जा रहा हो)		
श्रेणी 2 ख (i)	ढेला/गुमटी/खोमचे/खाद्यान्न स्टाल/फेरी वाले/आदि	30/- प्रतिमाह
श्रेणी 2 ख (ii)	सचल खाद्यान्न वैन	100/- प्रतिमाह
श्रेणी 2 ख (iii)	साप्ताहिक या समय-समय पर लगाये जाने वाले बाजार में सड़क के किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/खोमचे वाले/ खाद्यान्न स्टाल आदि	10/- प्रति विक्रेता, साप्ताहिक या उस दिन के लिये जब वह बाजार लगती है।
गैर-वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालय/रेस्टोरेंट/ढाबा/जलपान गृह/होटल/मिठाई की दुकानें आदि		
श्रेणी 5 क (i)	10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	100/- प्रतिमाह
श्रेणी 5 क (ii)	10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	150/- प्रतिमाह
समस्त प्रकार के कार्यालय (केन्द्र व राज्य सरकार अर्द्धशासकीय, एन0जी0ओ0 आदि)		
श्रेणी 6 (i)	2000 वर्ग फीट तक	150/- प्रतिमाह
गैर-आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ		
श्रेणी 8क (i)	100 विद्यार्थियों तक	200/- प्रतिमाह
श्रेणी 8क (ii)	100 से अधिक और 500 विद्यार्थियों तक	350/- प्रतिमाह
श्रेणी 8क (iii)	500 से अधिक	700/- प्रतिमाह
स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान		
श्रेणी 9क (i)	500 से कम वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	200/- प्रतिमाह
श्रेणी 9क (ii)	500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	350/- प्रतिमाह

निजी व्यक्ति/कम्पनी/या अन्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान जिनके पास सरकारी स्वामित्व से भिन्न स्वामित्व हो (निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय/क्लीनिक)

श्रेणी 9ग (i)	10 बेड से कम	1,000/- प्रतिमाह
श्रेणी 9ग (ii)	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	1,500/- प्रतिमाह

मैरिज हॉल, उत्सव हाल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान (जिसमें समारोहों/एक बार के समारोह, जिसमें भोजन सहित अतिथि सम्मिलित हैं, के लिये अस्थायी टेंट, मानक व्यवस्था/सम्मिलित) इन्हीं सुविधाओं वाले होटल इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

श्रेणी 12 (i)	300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के अनुसार नियत होगा और तदनुसार शुल्क ग्रहण किया जायेगा)	500/- प्रतिदिन
श्रेणी 12 (ii)	300 वर्ग मीटर से अधिक	750/- प्रति दिन
श्रेणी 17	मांस की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांस) या अन्य ऐसी दुकान जहाँ पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस फुटकर में विक्रय होता हो (वधशालाओं को छोड़कर)	250/- प्रति माह
श्रेणी 18	शराब की दुकानें (बियर की दुकान सम्मिलित हैं)	400/- प्रति माह
श्रेणी 19	पशु अस्पताल सहकारी साधन समितियाँ	100/- प्रति माह
श्रेणी 20	नुमाईश/मेला इत्यादि 30 दिन तक	15,000/- प्रति माह
श्रेणी 21	अन्य	50/- प्रति माह

नोट—

(1) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त यूजर चार्जेज की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत होगा।

(2) 100 कि०ग्रा० प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करने वालों को उसका निस्तारण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन अधिसूचना-08 अप्रैल, 2016 के तहत स्वयं करना होगा।

(3) उक्त से सम्बन्धित आपत्तियाँ 07 दिवस तक नगर पंचायत कंचौसी (कानपुर-देहात) में रजिस्टर्ड डाक से दर्ज करा सकते हैं, 07 दिवस उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

(4) गैर-आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ की आपत्ति के क्रम में बोर्ड बैठक द्वारा लिये गये फैसले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 तक यूजर चार्जेज से मुक्त किया जाता है।

राजेन्द्र सिंह,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत कंचौसी,
कानपुर, देहात।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अखिलेन्द्र गुप्ता (Akhilendra Gupta) पुत्र लाल चंद्र गुप्ता है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5209 1803 2189 में उसका नाम अखिलेश अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अखिलेन्द्र गुप्ता पुत्र लाल चंद्र गुप्ता कि नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लाल चंद्र गुप्ता पुत्र किशन दास,
सराय मंसूर पोस्ट सैदाबाद, सैफाबाद,
सैदाबाद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कोरी राजेश तीर्थ प्रसाद (KORI RAJESH TIRTH PRASAD) पुत्र तीर्थ प्रसाद है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5435 9945 5434 में मेरा नाम राजेश तीर्थ प्रसाद कोरी (RAJESH TIRTH PRASAD KORI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कोरी राजेश तीर्थ प्रसाद (KORI RAJESH TIRTH PRASAD) पुत्र तीर्थ प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कोरी राजेश तीर्थ प्रसाद पुत्र स्व0 तीर्थ प्रसाद,
67, मंगरा, प्राइमरी स्कूल मंगरा,
पोस्ट मंगरा, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका यादव पुत्री इन्द्रजीत यादव

है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5477 3820 3304 में उसका नाम प्रतिभा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका यादव पुत्री इन्द्रजीत यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इन्द्रजीत यादव पुत्र राममूरत यादव,
ग्राम राईपुर, दुधरा, उरवा बाजार,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र प्रताप सिंह (RUDRA PRATAP SINGH) पुत्र दिनेश कुमार सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3445 2982 1031 में उसका नाम सीमांत सिंह (SIMANT SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र प्रताप सिंह (RUDRA PRATAP SINGH) पुत्र दिनेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दिनेश कुमार सिंह,
अइलिया, पो0 लेवरूआं,
थाना चन्दवक, जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वेदांश कुमार (VEDANSH KUMAR) पुत्र अनिल कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3044 7731 2585 में मेरा नाम विदांश कुमार (VIDANSH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वेदांश कुमार (VEDANSH KUMAR) पुत्र अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वेदांश कुमार पुत्र अनिल कुमार,
334 राजापुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 कुसमा मिश्रा (Km Kusma) पुत्री एल. एल. मिश्रा है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं विवाहोपरांत मैंने अपना नाम कु0 कुसमा मिश्रा से बदल कर कुसमा द्विवेदी रख लिया है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0— 6937 6830 0441 में मेरा नाम की स्पेलिंग कुसुमा द्विवेदी (Kusuma Dwivedi) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुसमा द्विवेदी (Kusma Dwivedi) पुत्री लल्लू लाल मिश्रा (L.L. Mishra) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुसमा द्विवेदी पुत्री लल्लू लाल मिश्रा,
पत्नी जितेंद्र द्विवेदी,
34/22 छोटा बघाड़ा, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुप यादव पुत्र अमर जीत यादव है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख जन्म प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 9502 0760 9001 में मेरा नाम आकाश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुप यादव पुत्र अमरजीत यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुप यादव पुत्र अमरजीत यादव,
अवराई कला, बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमन गुप्ता (Aman Gupta) पुत्र विपिन गुप्ता है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2962 1075 7506 में मेरा नाम किशना गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमन गुप्ता पुत्र विपिन गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अमन गुप्ता पुत्र विपिन गुप्ता,
रामनगरिया हरदोई ग्रामीण हरदोई, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लाल बाबू तिवारी (LAL BABU TIWARI) पुत्र स्व0 हरि नारायण तिवारी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6774 1885 3776 में मेरा एल0बी0 तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लाल बाबू तिवारी (LAL BABU TIWARI) पुत्र स्व0 हरि नारायण तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लाल बाबू तिवारी पुत्र स्व0 हरि नारायण तिवारी,
171ए/18के0 कसारी—मसारी, 60 फिट रोड,
पोस्ट जी0टी0बी0 नगर, थाना धूमनगंज,
जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिप्रा गुप्ता SHIPRA GUPTA पुत्री राकेश कुमार गुप्ता है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज है विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम

शिप्रा गुप्ता से बदलकर शिप्रा मिश्रा रख लिया हैं। भविष्य में मुझे शिप्रा मिश्रा पुत्री राकेश कुमार गुप्ता पत्नी अमन मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिप्रा गुप्ता पत्नी अमन मिश्रा,
23/47/32 किदवई नगर, अल्लापुर,
दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश भोले गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8053 2506 0123 में उसका नाम भोले गुप्ता उर्फ अंश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश भोले गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गयी है।

पिंकी गुप्ता पत्नी विनोद गुप्ता,
बॉसी रोड़ निकट पानी टंकी कचहरी,
अमहट बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० रोशनी देवी (KM. ROSHANI DEVI) पुत्री राजाराम है जो मेरे हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट के अंक पत्र सह प्रमाण पत्र में अंकित है, एवं मेरे स्नातक व बीएड में मेरा नाम रोशनी देवी (ROSHANI DEVI) अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2689 9023 1716 में मेरा नाम कुमारी रोशनी देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० रोशनी देवी (KM- ROSHANI DEVI) पुत्री राजाराम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु० रोशनी देवी पुत्री राजाराम,
रामचंद्रपुर ऊंचाहार भीलमपुर,
रायबरेली उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शान्वी पाण्डेय (Shanvi Pandey) पुत्री राजीव कुमार पाण्डेय है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9136 6076 8408 में उसका नाम Shreya Pandey अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शान्वी पाण्डेय पुत्री राजीव कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजीव कुमार पाण्डेय
71/117 सुतार खाना कानपुर,
कानपुर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जयेश कुमार वर्मा पुत्र श्री भानु प्रकाश वर्मा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख मे अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3411 8861 3779 में मेरा नाम जैस कुमार वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जयेश कुमार वर्मा पुत्र भानु प्रकाश वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जयेश कुमार वर्मा पुत्र भानु प्रकाश वर्मा
धरसौना, पो0-चोलापुर,
जनपद वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विद्यांशु यादव (VIDYANSHU YADAV) पुत्र राकेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-8989 7124 9687 में उसका नाम विधानशु यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विद्यांशु यादव (VIDYANSHU YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में तमस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राकेश कुमार पुत्र स्व0 अमर बहादुर,
ग्राम गमरहटा, तेजपुर, मऊआइमा,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रणाली PRADALEE पुत्री कृष्ण कान्त मिश्र हैं जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 5745 9833 9024 में उसका नाम प्रणाली मिश्रा PRANALI MISHRA अंकित हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रणाली PRADALEE पुत्री कृष्ण कान्त मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विमला देवी पत्नी कृष्ण कान्त मिश्र,
भवानीपुर पोस्ट तिसेन तुलापुर,
माण्डा खास, प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्तुति त्रिपाठी पुत्री अरुण कुमार त्रिपाठी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड

सं० 5427 0542 2514 में उसका नाम वाणी त्रिपाठी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्तुति त्रिपाठी पुत्री अरुण कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरुण कुमार त्रिपाठी पुत्र बनारसी त्रिपाठी,
570/एस-299 कृष्ण पुरी फौजी कालोनी,
आलमबाग लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांशु तिवारी (AYANSH TIWARI) पुत्र संजय कुमार है जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9013 2212 3904 में मेरे पुत्र का नाम आर्यन तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांशु तिवारी (AYANSH TIWARI) पुत्र संजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार
ग्राम तमोरिया बुजुर्ग, पोस्ट अरगूपुर,
जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पुत्र का सही नाम- मोहित कुमार (MOHIT KUMAR) पुत्र संजय कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या- 8377 2859 8651, में उसका नाम मोहित कुमार (MOHITE KUMAR) अंकित हो गया है जो की गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहित कुमार (MOHIT KUMAR) पुत्र संजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संजय कुमार पुत्र राधेश्याम
ग्रा० गड्ठौली, पो० पहाड़ा बेलवन,
जिला मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र प्रताप सिंह पुत्र संजीव कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवम् आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने में पुत्र का नाम रुद्र प्रताप सिंह से बदलकर रुद्राक्ष सिंह (RUDRAKSH SINGH) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्राक्ष सिंह (RUDRAKSH SINGH) पुत्र संजीव कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

संजीव कुमार सिंह पुत्र स्व० आर०एल० सिंह,
एस०ए० 6/186 ए०-28, एस० ए 6/186
एम०एम० श्रीनगर कालोनी पहड़ियाँ,
वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत (Akshat) पुत्र रजत है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9734 3095 3294 में उसका नाम आरोम्भ (Aarombh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत (Akshat) पुत्र रजत के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रजत पुत्र राधे श्याम
15/167 सिविल कोर्ट कंपाउंड,
सिविल लाइन्स कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जान्हवी द्विवेदी (Janhvi Dwivedi) पुत्री शिवाकांत द्विवेदी है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9180 4485 3241 में मेरा नाम जानवी द्विवेदी (Janwai Dwivedi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जान्हवी द्विवेदी (Janhvi Dwivedi) पुत्री शिवाकांत द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जान्हवी द्विवेदी
चक शोभाराम, बगबना, करछना,
प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम प्रान्वी शर्मा पुत्री नीरज कुमार शर्मा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5372 5415 1857 में उसका नाम प्रियांशी अंकित हो गया है, जो की गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रान्वी शर्मा पुत्री नीरज कुमार शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीरज कुमार शर्मा पुत्र कमला प्रसाद शर्मा,
ग्राम औंका, पोस्ट सराय हरखू,
तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहम्मद आसिफ (MOHD ASIF) पुत्र मोहम्मद शमीम (MOHD SHAMEEM) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7651 5908 4040 में मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी

(MOHAMMAD ASIF QURAISHI) पुत्र मोहम्मद शमीम कुरैशी (MOHAMMAD SHAMIM QURAISHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद आसिफ (MOHD ASIF) पुत्र मोहम्मद शमीम (MOHD SHAMEEM) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहम्मद आसिफ, पुत्र मोहम्मद शमीम
मोहल्ला गडहीपर करारी पोस्ट करारी,
थाना करारी तहसील मंझनपुर जिला कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ज्ञानस्वरूप सिंह (Gyanswaroop Singh) पुत्र ब्रह्मप्रकाश सिंह है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4975 5928 7172 में मेरा नाम जी०एस० सिंह (G.S. Singh) हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ज्ञानस्वरूप सिंह पुत्र स्व० ब्रह्मप्रकाश सिंह से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ज्ञानस्वरूप सिंह पुत्र स्व० ब्रह्मप्रकाश सिंह,
ग्राम बभनियावाँ, पोस्ट कुंदुर्खा खुर्द,
रौनाही, जिला अयोध्या, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रद्धा यादव पुत्री सुभाष चंद्र यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7976 6572 2318 में उसका नाम कोमल यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रद्धा यादव पुत्री स्व० सुभाष चन्द्र यादव है के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उर्मिला यादव पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र यादव,,
ग्राम पकड़ी गोदाम मुगरा बादशाहपुर,
जौनपुर उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पीहु वर्मा पुत्री सुखेन्द्र वर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम पीहू वर्मा से बदलकर शिवन्या वर्मा (SHIVANYA VERMA) रख लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को शिवन्या वर्मा पुत्री सुखेन्द्र वर्मा के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुखेन्द्र वर्मा पुत्र श्री राम आधार वर्मा,
18/26 सरोजनी नाईडू मार्ग,
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शुभम वर्मा पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5869 7280 3235 में उसका नाम Shubnam अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शुभम वर्मा पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र कन्हई लाल,
52 वहरे कुइया बहरेकुइया
बलरामपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम, डॉल्सी चन्द्रा (Dolcee Chandra) पुत्री सुरजीत चन्द्रा (Surjeet Chandra) जो उसके शैक्षिक, अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार संख्या 7963 7090 5844 में उसका नाम डाल्सी चन्द्रा (Dalsi Chandra) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री उसके सही नाम डॉल्सी चन्द्रा (Dolcee Chandra) पुत्री स्व० सुरजीत चन्द्रा के नाम से जानी व पहचानी जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई।

डॉली चन्द्रा पत्नी स्व० सुरजीत चन्द्रा,
28/65 मोती लाल नेहरू रोड,
इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्नेहा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 5363 8563 2042 में उसका नाम विसानवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम स्नेहा पुत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

विश्वनाथ प्रताप सिंह,
निवासी सुरौधा तहसील मऊ,
जिला चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रतन प्रिया मालवीय पुत्री श्री राम मालवीय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9762 4783 3002 में उसका नाम रत्नाप्रिया मालवीय (Ratnapriya Malviya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रतन प्रिया मालवीय (Ratan Priya Malviya) पुत्री श्री राम मालवीय (Shri Ram Malviya) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्री राम मालवीय
निवासी-10/79के-5 नई कालोनी,
ककरमत्ता, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दक्षित सिंह (DAKSHIT SINGH) पुत्र दिनेश कुमार सिंह है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9581 6696 9622 में उसका नाम बेबी टू (BABYTWO) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दक्षित सिंह (DAKSHIT SINGH) पुत्र दिनेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं। समस्त विधिक

दिनेश कुमार सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह,
399, गमरहता मऊआइमा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हर्षिता शर्मा (Harshita Sharma) पुत्री ओम प्रकाश शर्मा है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 3805 3858 6689 में मेरा नाम जस्सी शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हर्षिता शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हर्षिता शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा
ग्राम जुआजाता पोस्ट निरंजनपुर,
तहसील बस्ती जनपद बस्ती उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवार्थ जायसवाल (SHIVARTH JAISWAL) पुत्र रवि कुमार जायसवाल है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3941 4521 5947 में उसका नाम आरव जायसवाल (AARAV JAISWAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवार्थ जायसवाल (SHIVARTH JAISWAL) पुत्र रवि कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रवि कुमार जायसवाल पुत्र लाल जी जायसवाल,
249 वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत,
हंडिया जिला प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पप्पू लाल सोनकर पुत्र किशोरी लाल सोनकर है जो मेरे पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, विद्युत बिल, जल संस्थान का बिल व उप जिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या-5289 6192 0781 में मेरा नाम कमलाकान्त सोनकर अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पप्पू लाल सोनकर पुत्र किशोरी लाल सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पप्पू लाल सोनकर पुत्र किशोरी लाल सोनकर,
डी 59/70, महमूरगंज, छित्तपुर,
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम एंजल बिष्ट पुत्री गौरव बिष्ट है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है।

मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम एंजल बिष्ट में बदलकर आरोही बिष्ट (AAROHI BISHT) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को आरोही बिष्ट पुत्री गौरव बिष्ट के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गौरव बिष्ट पुत्र दिनेश प्रकाश बिष्ट,
E96 कुर्माचल नगर, शिव भवानी मंदिर,
इंदिरा नगर लखनऊ उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनोरमा पुत्री प्रेमचन्द्र भारती है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-5732 6224 1802 मेरा नाम मनोरमा देवी (MANORMA DEVI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनोरमा (MANORMA) पुत्री प्रेम चन्द्र भारती पत्नी श्री विजय बहादुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनोरमा पुत्री प्रेम चन्द्र भारती,
पत्नी श्री विजय बहादुर सिंह,
351ए चौदपुर सलोरी (ओम गायत्री नगर),
पोस्ट तेलियरगंज, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रेम नारायण है तथा मेरी पत्नी का नाम विद्या देवी है, हमारे आधार व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री खुशी केशरवानी के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23242688/2022 तथा इंटर मीडिएट प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 23749199/2024) में मेरा नाम प्रेम नारायण केशरवानी तथा मेरी पत्नी का नाम विद्या केशरवानी अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रेम नारायण पुत्र कामता प्रसाद,
पश्चिमशरीरा जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्यवर्धन जायसवाल पुत्र मदन लाल जायसवाल है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3904 3373 5500 में उसका नाम आराध्य जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्यवर्धन जायसवाल पुत्र मदन लाल जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मदन लाल जायसवाल,
पुत्र राम प्रगट जायसवाल,
A-Block, 907/10 इन्दिरा नगर लखनऊ,
कन्वेंशन सेंटर के पास लखनऊ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु. अनीता सिंह (Km. Aneeta Singh) पुत्री नत्थू सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9166 2807 3377 में मेरा नाम सुनीता सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु. अनीता सिंह पुत्री नत्थू सिंह पत्नी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु. अनीता सिंह पुत्री नत्थू सिंह,
पत्नी ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह,
कटका वार्ड नं 01, नगर पंचायत,
झूँसी प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांश मौर्य (AYANSH MAURYA) पुत्र पवन कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6953 2562 5371 में उसका नाम पूरव मौर्य अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांश मौर्य (AYANSH MAURYA) पुत्र पवन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पवन कुमार पुत्र सालिक राम मौर्य,
शेखपुर, फूलपुर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शाहीन पुत्री नसीमुद्दीन है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में दर्ज है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7975 9114 3282 में उसका नाम अयात फातिमा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शाहीन पुत्री नसीमुद्दीन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नसीमुद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद,
ग्राम बारीगाँव पो0 वारीगाँव दखवा बाजार,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लकी पुत्र सुनील कुमार है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3605 4566 5933 में उसका नाम लक्की अंकित हो गया जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लकी पुत्र सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनील कुमार पुत्र राजू प्रसाद,
अरौव जगदीश गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम देविका शुक्ला पुत्री सौरभ शुक्ला है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6458 0757 0206 में उसका नाम समीक्षा शुक्ला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम देविका शुक्ला पुत्री सौरभ शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सौरभ शुक्ला पुत्र संजय शुक्ला,
8/83 आर्यनगर कानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम क्षितिज कुमार दुबे पुत्र उमेश कुमार दुबे है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8182 6238 0300 में मेरा नाम ऋषभ दुबे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम क्षितिज कुमार दुबे पुत्र उमेश कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

क्षितिज कुमार दुबे पुत्र उमेश कुमार दुबे,
ग्राम श्रीपट्टी, पो0 मवैया, थाना चील्ह,
तहसील सदर जनपद मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० विजय कुमारी मिश्रा पुत्री कमलाकान्त मिश्र,

है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7182 2157 7504 में मेरा नाम क्षमा पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० विजय कुमारी मिश्रा पुत्री कमलाकान्त मिश्र पत्नी जयशंकर पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु० विजय कुमारी मिश्रा पुत्री कमला कान्त मिश्र,
पत्नी जय शंकर पाण्डेय,
हुल्का, ऊंचडीह बाजार इलाहाबाद

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विराट यादव (Virat Yadav) पुत्र विरेन्द्र कुमार यादव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3143 0195 1734 में उसका नाम बेबी ऑफ रेनू देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विराट यादव पुत्र विरेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेनू देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार यादव,
केरावडीह झुक्वारा प्रतापगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी सिंह (Sakshi Singh) पुत्री भानु प्रताप है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3131 8773 3361 में उसका नाम नभ्या भारद्वाज अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साक्षी सिंह पुत्री भानू प्रताप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

भानू प्रताप पुत्र तिलक धारी,
स० 18/36 मौजा हाल बधवानाला,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पवन प्रजापति (Pavan Prajapati) पुत्र मुकेश प्रजापति है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4670 8272 3099 में उसका नाम पवन सौर अंकित हो गया है जो कि गलत हैं भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पवन प्रजापति पुत्र मुकेश प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुकेश प्रजापति पुत्र परसादी,
138 लाल्ले की टोरिया बरूवासागर,
झाँसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम तनु अग्रहरि पुत्री मनीष कुमार अग्रहरि है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4836 3155 9683 में उसका नाम पुर्णिमा अग्रहरि अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम तनु अग्रहरि पुत्री मनीष कुमार अग्रहरि के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निशा देवी, पत्नी मनीष कुमार अग्रहरि,
शंकर गंज कर्वी चित्रकूट, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम् सिंह (Shivam Singh) पुत्र अनिल कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3750 4541 8569 में उसका नाम अश्वनी कुमार सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम् सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनिल कुमार सिंह, पुत्र रामजी सिंह,
वार्ड 10, सहतवार, सहतवार बलिया, यु०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स दास सर्विस स्टेशन, जी०टी० रोड, देवबन्द सहारनपुर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 28 अप्रैल, 2005 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में 1. श्रीमती शशी बाला गर्ग पत्नी हरि शरण दास 02. प्रदीप कुमार पुत्र स्व० हरि शरण दास भागीदार थे, फर्म के भागीदार प्रदीप कुमार की दिनांक 13 अगस्त, 2025 को मृत्यु हो जाने के कारण इनके स्थान पर फर्म में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को श्रीमती मीनाक्षी गर्ग पत्नी स्व० प्रदीप कुमार गर्ग अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में भागीदार बन गयी है। अब वर्तमान में फर्म में 1. श्रीमती शशी बाला गर्ग, 2. श्रीमती मीनाक्षी गर्ग भागीदार है।

श्रीमती शशी बाला गर्ग,
भागीदार,
मेसर्स दास सर्विस स्टेशन
जी०टी० रोड, देवबन्द सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-विजय कुमार सिंह, 135/5, न्यू लेबर कालोनी, बाबूपुरवा, किदवई नगर, कानपुर का साझीदार हूँ। फर्म

का पंजीयन दिनांक 27 जून, 2018 को पंजीकरण सं० K/8598 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के अनुसार फर्म में श्री जय प्रकाश, श्री विजय कुमार कनौजिया साझेदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 20.06.2026 के अनुसार साझेदारी में श्रीमती कुसुम कनौजिया को शामिल किया गया है तथा साझेदार श्री जय प्रकाश स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री विजय कुमार कनौजिया व श्रीमती कुसुम कनौजिया साझेदार है।

विजय कुमार कनौजिया,
पार्टनर,
मेसर्स—विजय कुमार सिंह, 135/5
न्यू लेबर कालोनी, बाबूपुरवा,
किदवई नगर, कानपुर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "सहारा राइस मिल", विलेज भटपुरा चक्रपाण, पो० केमरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को हाजी मकसूद अहमद पुत्र हाजी शकील अहमद व श्रीमती रुकसाना पत्नी हाजी मकसूद अहमद व सलीम अहमद पुत्र हाजी शकील अहमद व निसार अहमद पुत्र छोटे शामिल हो गये हैं तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 को मकसूद अहमद पुत्र हाजी शकील अहमद व श्रीमती रुकसाना पत्नी हाजी मकसूद अहमद व सलीम अहमद पुत्र हाजी शकील अहमद व निसार अहमद पुत्र छोटे रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को ओवैस पुत्र इकबाल अहमद रिटायर हो गये हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में सात पार्टनर श्री इकबाल अहमद, श्री इसरार अहमद श्री इरफान अहमद, श्री बाबू अली, श्री नवाब अहमद, श्री मौहम्मद नावेद अहमद व श्री हावेद अली रह गये।

इकबाल अहमद,
पार्टनर,
मेसर्स "सहारा राइस मिल",
विलेज भटपुरा चक्रपाण, पो० केमरी,
तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० ट्रैस्को इण्टरनेशनल, 56 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, नुनिहाई, जिला आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री संजय गर्ग, श्रीमती किरन गर्ग निवासीगण नेहरू नगर, जिला आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक— 01 सितम्बर, 2019 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्री शिव गर्ग फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री संजय गर्ग, श्रीमती किरन गर्ग, श्री शिव गर्ग हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

संजय गर्ग,
साझेदार,
मे० ट्रैस्को इण्टरनेशनल,
56 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, नुनिहाई, जिला आगरा

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० सिग्नेचर इन्फ्रा, 322, अपो० गोदरेज फैंक्ट्री न्यू अशोक नगर कॉलोनी, अपो० श्याम सुन्दर मिल्स, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री हरीश भारद्वाज, श्री सुमित कुमार अग्रवाल, श्री मनीष गुप्ता, श्रीमती रिकी अग्रवाल निवासीगण जिला अलीगढ़ हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक— 21 सितम्बर, 2020 को संचालन की थी। दिनांक 01 जून, 2026 से श्री मनीष गुप्ता फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म को श्री हरीश भारद्वाज, श्री सुमित कुमार अग्रवाल, श्रीमती रिकी अग्रवाल हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

हरीश भारद्वाज
साझेदार,
मे० सिग्नेचर इन्फ्रा, 322, अपो० गोदरेज फैंक्ट्री,
न्यू अशोक नगर कॉलोनी,
अपो० श्याम सुन्दर मिल्स, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पॉकट सर्विसेज, 280/9, दुर्गापुरी ब्लन्ट स्कायर, मवैया, लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार — श्री सौरभ गर्ग एवं श्रीमती पुष्पलता गर्ग साझेदार थे दिनांक 01 अप्रैल, 2013

को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती पुष्पलता गर्ग अपनी सहमति से फर्म की साझेदारी से निकल गयी है तथा इसी तिथि को श्रीमती अमिता गर्ग साझेदार के रूप में शामिल हो गयी है। वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री सौरभ गर्ग एवं श्रीमती अमिता गर्ग साझेदार है। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सौरभ गर्ग,
साझेदार,
मेसर्स पॉकट सर्विसेज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स जगत एसोसिएट्स, नौरंग मार्केट के सामने, जिला-हरदोई 241405 रजिस्ट्रेशन सं०-HAR/0015913 का पंजीकरण दिनांक 17 अगस्त, 2023 को कराया गया था जिसमें राजीव कुमार प्रथम एवं श्रीमती मुन्नी देवी द्वितीय साझेदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझेदार राजीव कुमार दिनांक 04 अप्रैल, 2026 को स्वेच्छा से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं तथा उनके स्थान पर हर्षित गुप्ता पुत्र राजीव गुप्ता को दिनांक 04 अप्रैल, 2026 से शामिल कर लिया गया है। उक्त फर्म के प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में हर्षित गुप्ता प्रथम एवं मुन्नी देवी द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

मुन्नी देवी,
साझेदार,
मेसर्स जगत एसोसिएट्स,
नौरंग मार्केट के सामने, जिला-हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s VIP FILLING STATION, Khasra No. 2528 2529, NH 09, Village Garh Bangar, Garhmukteshwar, Hapur, UP 245205 की साझेदारी दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को हुई थी साझेदारी डीड के अनुसार फर्म में निम्न दो पार्टनर थे (1) विभा दादू पुत्री

श्री वेद प्रकाश, दादू भवन, सिम्भावली, जिला-हापुड उ०प्र०, (2) विपिन अग्रवाल पुत्र श्री अमरनाथ अग्रवाल, पता-18 बाहुबली एन्कलेव, दिल्ली-110092, फर्म की संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 09 जून, 2026 के अनुसार दोनों साझेदारों (1) विभा दादू पुत्री श्री वेद प्रकाश, दादू भवन, सिम्भावली, जिला-हापुड उ०प्र०, (2) विपिन अग्रवाल पुत्र अमरनाथ अग्रवाल, पता-18 बाहुबली एन्कलेव, दिल्ली-110092 की आपसी सहमति से फर्म M/s VIP FILLING STATION, Khasra No. 2528 2529, NH 09, Village Garh Bangar, Garhmukteshwar, Hapur, UP 245205 को दिनांक 09 जून, 2026 में समाप्त कर दिया गया है तथा दोनों साझेदारों का आपस में कोई बकाया नहीं है और उक्त फर्म के नाम से किसी भी साझेदार द्वारा भविष्य में कोई भी व्यवसाय आदि नहीं किया जायेगा।

विपिन अग्रवाल,
साझेदार,

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-न्यू ओरियन्टल मिल स्टोर, धर्मशाला बाजार जिला गोरखपुर, उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 जुलाई, 2014 से मो० अब्दुल कुदूस, अब्दुल मतीन फैजी एवं अयाज अहमद जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण G-4076 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार मो० अब्दुल कुदूस जी दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को मृतक हो चुके हैं व पूरक साझेदारी डीड दिनांक 11 सितम्बर, 2020 से श्रीमती निशत फातिमा उक्त फर्म में तृतीय साझेदार के रूप में शामिल है तथा साझेदारी डीड दिनांक 31 मार्च, 2026 से श्री अयाज अहमद जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री अब्दुल मतीन फैजी एवं श्रीमती निशत फातिमा जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

अब्दुल मतीन फैजी,
साझेदार,
मेसर्स-न्यू ओरियन्टल मिल स्टोर,
धर्मशाला बाजार जिला गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राज कान्सट्राक्शन्स, 32 डी० राजनिवास सिद्धार्थनगर कालोनी निकट सेन्ट्रल एकेडमी तारामण्डल रोड पोस्ट— सिद्धार्थ इन्वलेव जनपद गोरखपुर उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 14 अगस्त, 2009 से श्रीमती भानमती देवी एवं श्री कृष्णा नन्द पाण्डेय जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं० G-2603 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्रीमती सीमा राय पत्नी श्री कृष्णा नन्द पाण्डेय जी उक्त फर्म में तृतीय साझेदार के रूप में शामिल हो चुकी है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्रीमती भानमती देवी व श्री कृष्णा नन्द पाण्डेय एवं श्रीमती सीमा राय जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

भानमती देवी,
साझेदार,

मेसर्स राज कान्सट्राक्शन्स, 32 डी०
राजनिवास सिद्धार्थनगर कालोनी,
निकट—सेन्ट्रल एकेडमी तारामण्डल रोड,
पोस्ट—सिद्धार्थ इन्वलेव जनपद गोरखपुर उ०प्र०।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स U.N.INFRA, 3/13 SECTOR. H, JANKIPURAM LUCKNOW से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री उमंग चौधरी एवं श्री नवीन राय साझेदार थे। दिनांक 19 फरवरी, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री योगेश कुमार एवं श्री पंकज राय साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं दिनांक 08 अप्रैल, 2026 को श्री उमंग चौधरी एवं श्री नवीन राय फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं तथा इसी तिथि को फर्म का पता— परिवर्तन हो कर नया पता— 96/167, OLD GANESH GANJ LUCKNOW 226018 हो गया है। वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री योगेश कुमार एवं श्री पंकज राय साझेदार हैं।

योगेश कुमार,
साझेदार,
मेसर्स U.N. INFRA

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव यादव (ARAV YADAV) पुत्र प्रेमचन्द है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—8145 9702 6534 में उसका नाम आराध्य यादव (ARADHYA YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव यादव (ARAV YADAV) पुत्र प्रेमचन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

प्रेमचन्द पुत्र राम खेलावन,
कटका झूंसी प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज, इन्फ्रन्ट ऑफ जी०बी० ग्लास वर्क्स, ढोलपुरा आगरा रोड, फिरोजाबाद जिसकी पत्रावली संख्या—एफआईआर—0024098 है। दिनांक 12.12.2025 से उपरोक्त फर्म में गौरी बंसल तथा नन्दनी अग्रवाल भागीदार थे। फर्म की संशो० भागी० डीड दिनांक 01.06.2026 के अनुसार श्रीमती अनु० बंसल पत्नी श्री अमित बंसल उक्त फर्म में नई भागीदार हो गई है तथा उक्त दिनांक को ही श्रीमती गौरी बंसल फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गई हैं। अब फर्म में नन्दनी बंसल तथा श्रीमती अनु बंसल भागीदार हो गई है।

नन्दनी अग्रवाल
भागीदार,
मेसर्स श्री श्याम इन्टरप्राइजेज,
इन्फ्रन्ट ऑफ जी०बी० ग्लास वर्क्स,
ढोलपुरा आगरा रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राधा कृष्णा फ्यूल्स, खन्दौली, जिला आगरा का पत्रावली संख्या AGR-0011144 पर पंजीकृत है। फर्म में

दिनांक 05.01.2022 से श्री पदम प्रकाश, श्री अनिकेत निगम तथा श्री सौरभ दुआ पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार 04.05.2026 को श्रीमती मीतोषी पत्नी श्री रजत गुप्ता, निवासी—म०नं०—42 श्री कृष्णा वाटिका कॉलोनी पंचवटी के पीछे, शमशाबाद रोड, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त दिनांक से ही श्री पदम प्रकाश पुत्र श्री अल्मू निवासी—8—ए नेहरू रोड, देहरादून तथा श्री अनिकेत निगम पुत्र श्री नवल किशोर निवासी—अरतौनी सिकन्दरा, आगरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। संशोधित साझेदारी डीड के अनुसार वर्तमान में श्री सौरभ दुआ तथा श्रीमती मीतोषी 2 ही हिस्सेदार रहेंगे।

सौरभ दुआ,
साझेदार,
मेसर्स राधा कृष्णा फ्यूल्स,
खन्दौली, जिला आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंचल यादव पुत्री स्व० श्याम सिंह यादव पत्नी सुनील कुमार यादव है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 232260387 में मेरा नाम कु० कोमल अंकित हो गया है। जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंचल यादव पुत्री स्व० श्याम सिंह यादव पत्नी सुनील कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अंचल यादव पुत्री स्व० श्याम सिंह यादव,
पत्नी सुनील कुमार यादव,
ग्राम करनपुर, पो० सुगरमील,
बभनान थाना छपिया, गोंण्डा, उ०प्र०।